# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 2 पंचम विधान सभा के द्वितीय सत्र का तृतीय दिवस संख्या 2

बुधवार,

दिनांक 16 अगस्त, 1972

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.0 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

( श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन )

**तारांकित प्रश्नोत्तर**

(कृषि, वित्त, श्रम, जनस्वास्थ्य, समाज कल्याण, खाद्य, शिक्षा, नगर आयोजना, अकाल सहायता, योजना, स्वायत्त शासन, एवं अकाल सहायता-विभाग)

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न । श्री भीमसेन ।

**लूणकरणसर तहसील के गांवों की पेय जल की समस्या**

**1. श्री भीमसेन** (लूणकरणसर). क्या जनस्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि लूणकरणसर तहसील के निम्न खारे पानी वाले गांवों की पेय जल समस्या के स्थाई हल हेतु क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनायें तैयार कराई जा सकती हैं:--

(1) मांडसर, देवासर, जागोर, हिन्दौर, हाथूसर, कंकरालिया, मेडसर, नाकरासर, लखौर, बड़ी व छोटी-(जल उद्‌गम स्थान राजस्थान नहर के 80 मील से)।

(2) शेरपुरा, रामबाग, मलसीसर छोटा (जल उद्‌गम स्थान गांव शेरपुरा)।

(3) खारी, कुवरी, सहजरासर, धीरेरा स्टेशन व उत्तमदेसर—(जल उद्‌गम स्थान खारी गांव का कुआ )।

अगर हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

**समाज कल्याण मंत्री** (श्री ओंकारलाल चौहान:(1)प्रस्तावित ग्रामों के लिये क्षेत्रीय योजनायें बनाई जा सकती हैं किन्तु उनके स्वरूप व जल उद्‌गम के स्थान के विषय में तो पूर्ण सर्वे के उपरान्त ही निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। योजनाओं का सर्वे कराया जायेगा और वित्तीय स्थिति के अनुसार स्वीकृति की जावेगी।

**श्री भीमसेन :** यह सर्वे करने का आर्डर कब तक दे दिया जायेगा।

श्री ओंकारलाल चौहान : वहां तो सर्वे कई साल से चल रहा है और कई गांवों का सर्वे हो भी चुका जैसे खारी, कुजरी, सहजापर आदि। और बाकी गांवों में सर्वे का काम चल रहा है।

प्रश्न संख्या 2

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल इंदलिया।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा।

**फागी तहसील में हुई चोरियों के मामले**

3. श्री **जयकिशनलाल तोसावड़ा** (फागी) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) फागी तहसील में सन् 1969 से अब तक कितनी चोरियां हुई और इनमें से कितनी चोरियां बरामद की गई और कितनी बरामद करना शेष है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सत्य है कि सन् 1969 से आज तक हुई चोरियों में कस्बा फागी में अधिक चोरियां हुई हैं और क्या पुलिस चोरी का माल बरामद करने में असमर्थ रही है?

(3) क्या सरकार इन चोरियों के माल को बरामद कराने का विचार रखती है? और अब तक पुलिस द्वारा कार्यवाही न करने के क्या कारण है?

**राज्य मन्त्री गृह** (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी नहीं।

(3) चोरियों के माल को बरामद करने की कार्यवाही निरन्तर की जाती है, और पुलिस द्वारा कार्यवाही न करने का प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

**श्री अध्यक्ष** : श्री गुरदयालसिंह सन्धु।

**मण्डी करनपुर के खाद्य भण्डार**

4. श्री **गुरदयालसिंह सन्धु** (करणपुर) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मण्डी करनपुर में कितने खाद्य भण्डार हैं और उनमें कितना कितना खाद्य पदार्थ रखा जा सकता है?

(2) उनमें से कितनों में खाद्य पदार्थ रखा हुआ है और कितने खाली हैं?

(3) क्या यह सही है कि कचहरी के साथ लगता गोदाम खाली पड़ा हुआ है? यदि हां तो खाद्य पदार्थ की, बोरियां जो चक 13 (ओ) क्षेत्र में जो कि मण्डी करणपुर के साथ लगता है वहां फर्श बनाकर क्यों रखी गई हैं? तथा इसका कितना किराया दिया जाता है और यह स्थान किसका है?

**खाद्य मन्त्री** (श्री परसराम मदेरणा) : (1) मण्डी करनपुर में भंडार व्यवस्था निगम का 1 तथा किराये के 13 खाद्य भण्डार हैं। इनमें क्रमश: 1800 मै. टन एवं 6535 मै. टन खाद्य खाद्यान्न संग्रहित किया जा सकता है।

(श्री परसराम मदेरणा)

(2) उक्त खाद्य भंडार में से 191 में खाद्यान्न रखे हैं शेष 3 में कृषि मन्त्रालय (भारत सरकार) का खाद्य रखा हुआ है।

(3) कचहरी के पास लगा हुआ गोदाम सार्वजनिक निर्माण विभाग का है। चक 13 ओ में खाद्य निगम का माल रखा है। भूमि श्री सन्तोकचन्द सोहनलाल की है और इसका 2811 रुपये मासिक किराया खाद्य निगम द्वारा दिया जाता है।

**श्री गुरदयालसिंह संधु** : यह वहां पर क्यों पड़ा हुआ है ?

**श्री परसराम मदेरणा** : यह बात फूड कोरपोरेशन के सोचने की है। यह राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र की बात नहीं।

**श्री गुरदयालसिंह सन्धु (सूरतगढ़)** : क्या वो किसी मन्त्री की रकम चुकाने के लिए, उस खाली जगह पर माल स्टोर किया जा रहा है।

**श्री परसराम मदेरणा** : मैं इसका डिनाई करता हूं।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़)** : यह बाहर किसी जमीन पर खाद्यान्न पड़ा हुआ और दो हजार से अधिक रुपया उसे दिया जा रहा है···

**श्री परसराम मदेरणा** : यह तो फूड कोरपोरेशन आफ इन्डिया जो कि गवर्नमेंट आफ इन्डिया का है उसमें राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : क्या राज्य सरकार ने इसके लिए कोई पत्र फूड कारपोरेशन आफ इन्डिया को इसके बारे में लिखा है क्या आपने कोई सुझाव इसके लिए फूड कारपोरेशन आफ इन्डिया को दिया है या अब लाने की कोशिश करेंगे ?

**श्री परसराम मदेरणा** : यह तो फूड कारपोरेशन आफ इन्डिया के सूझ की बात है अगर वो राज्य सरकार की गोदाम वगैरहा के वास्ते कहती तो देखते।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : आपने उनको नहीं बताया कि फूड कार्पोरेशन को घाटा हो रहा है इससे।

**श्री परसराम मदेरणा** : क्या घाटा और क्या नफा यह तो फूड कोर्पोरेशन के सोचने की बात है। इसके अलावा यह कि कितना माल स्टोरेज करने के लिए कितनी केपेसिटी के गोदाम की आवश्यकता है यह फूड कोर्पोरेशन आफ इन्डिया के सोचने की बात है। वो चाहे जहां अपना खाद्यान्न स्टोर कर सकते हैं फूड कोर्पोरेशन-आफ इन्डिया गवर्नमेंट आफ इन्डिया को ओटोनोमस बोडी है। वह गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया का एन्टरप्राइज है वह चाहे जहां अपना माल रख सकते हैं। कचहरी के पास जो गोदाम है वह सार्वजनिक निर्माण विभाग का स्टोर है। राज्य सरकार ने फूड कार्पोरेशन आफ इन्डिया को रिक्वेस्ट किया था पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। फूड कारपोरेशन आफ इन्डिया के खुद के गोदाम हैं सभी जगह। फूड कारपोरेशन आफ इन्डिया ने हमको लिखा नहीं है।

**श्री गुरदयाल सिंह सन्धु** : इसका मतलब यह हुआ कि फूड कार्पोरेशन आफ इन्डिया और राजस्थान सरकार में कोपरेशन नहीं

Page No. 4



(श्री गुरदयालसिंह संधु)
है और राज्य सरकार के स्टोर की यूज नहीं कर रही है ?

**श्री परसराम मदेरणा** : यह फूड कार्पोरेशन आफ इन्डिया गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया के डाईरेक्ट कन्ट्रोल में है और उनके खुद के कुछ सिद्धान्त है, उसी के अनुसार के वो अपना काम करते हैं। इसमें कोआपरेट करने की क्या बात है। फूड कोर्पोरेशन आफ इन्डिया अपने गोदाम किराये लेकर अनाज स्टोर करती है, या उनके स्वयं के स्टोर हैं जहां पर कि अनाज स्टोरेज किया जाता है। और राज्य सरकार का जो स्टोर पी.डब्ल्यू.डी. का स्टोर है उसे यूज नहीं किया है ?

**श्री गुरदयालसिंह सन्धु**: क्या राज्य सरकार ने यह महसूस नहीं किया कि यह धन का दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए आयन्दा ऐसी कार्यवाही न करें और उन स्टोर्स को यूज करें ?

**श्री परसराम मदेरणा** : महसूस करने की बात सरकार और फूड कार्पोरेशन की है।

**श्री लक्ष्मणसिंह** (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो कहा वह तो ठीक है, लेकिन सिद्धान्ततः और संवैधानिक दृष्टिकोण से हम फीडरेशन हैं और अगर केन्द्रीय सरकार का धन या राष्ट्रीय धन का अपव्यय हो रहा है तो केवल गवर्नमेंट और राजस्थान सरकार का क्या यह कर्तव्य नहीं है कि केन्द्र का ध्यान इस ओर आकर्षित करें और कहे कि इस तरह राष्ट्र के धन का अपव्यय हो रहा है और इस सम्बन्ध में रोकथाम करने की व्यवस्था की जाये।

**श्री परसराम मदेरणा** : यह प्रापर्टी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की है और खाद्य विभाग को इसकी जानकारी नहीं है कि यह प्रापर्टी पी. डब्लू. डी. को खुद के यूज के लिए चाहिये या फूड कार्पोरेशन को किराये पर दे सकते हैं। वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के पास जितना भी स्टोरेज था वह उन्होंने किराये पर दे रखा है और आज वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के पास स्टोरेज नहीं है। पी. डब्ल्यू. डी. की प्रापर्टी है, उनका मकान खाली पड़ा हुआ है, वह क्यों खाली पड़ हुआ है मुझे नहीं मालूम। फिर भी इस सदन के माननीय सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया है तो हम उनसे दर्याफ्त करेंगे और सलाह देंगे, और अगर पी. डब्लू. डी. रजामन्द हो जाये और इस बिल्डिंग को स्टोरेज को देने के लिये तैयार हो, तो हम एफ. सी. आई. को फर्मा देंगे।

**श्री गुरदयाल सिंह सन्धु**: पी. डब्लू. डी. की प्रापर्टी के अलावा प्रापर्टी भी तहसील हैडक्वार्टर्स पर खाली पड़ी हुई है।

**श्री लक्ष्मण सिंह** : बहुत से स्टोर खाली पड़े हुए हैं और उनका कोई किराया राज्य सरकार को नहीं मिल रहा है और वह स्टोर टूट रहे है और उनकी मरम्मत नहीं हो रही है। दूसरी तरफ एफ. सी. आई. प्राइवेट आदमियों से मकान किराये लेकर स्टोर के काम में ले रही है। यह क्या ठीक है ? आपको इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिये और आपको एफ. सी. आई. से बात करनी चाहिये। प्रश्न दबाव डालने का नहीं है, उनको एडवाइज करने का है।

**श्री परसराम मदेरणा** : 193 जो भंडार गृह हैं उनमें से, जैसा कि मैंने निवेदन

(श्री परसराम मदेरणा)
किया, वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन ने 191 भंडार गृह एफ. सी. आई. को किराये पर दे रखे हैं और उनके अलावा तीन भंडार गृहों में भारत सरकार का फर्टिलाइजर रखा हुआ है। अब प्रश्न यह आता है कि पी. डब्लू. डी. के मकान पड़े हुए हैं जिसमें स्टोरेज हो सकता है और प्राइवेट आदमियों से एफ. सी. आई. ने मकान किराये पर ले रखे हैं। जैसा मैंने निवेदन किया, जो पी. डब्लू. डी. की प्रापर्टी है, वह प्रापर्टी अगर उनके काम में नहीं आ रही है तो उनसे जानकारी लेकर एफ. सी. आई. को परामर्श देंगे कि ऐसी केपेसिटी के भंडार गृह हमारे यहां अवेलेबिल हैं, उनको इस्तेमाल करें।

**श्री गुरदयाल सिंह संधु** : केवल पी. डब्लू. डी. के ही नहीं, तहसील हैडक्वार्टर्स पर और पंचायत समिति के स्तर पर भी कई जिलों में भंडार गृह खाली पड़े हुए हैं।

**श्री निरंजन नाथ आचार्य** (मावली) : उसमें आप एड कर दीजिए कि कोई भी सार्वजनिक संस्था की बिल्डिंग।

श्री **परसराम मदेरणा** : मैंने निवेदन किया कि माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखकर इस बारे में परामर्श करेंगे।

श्री **अध्यक्ष** : श्री भानु कुमार शास्त्री।

**पाठ्य पुस्तकों में सिन्धी शहीदों की जीवनियां**

5. श्री **भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या पाठ्य पुस्तकों में जिस प्रकार भारत के अन्य शहीदों का विवरण है उस प्रकार सिन्धी शहीदों की जीवन सम्बन्धी वार्तायें सम्मिलित हैं ?

(2) यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार इस प्रकार के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

(3) क्या राज्य सरकार के पास शहीद हेमू कालाणी, भगत कंवर राम, डा. चोथराम गिदवानी, राजा दाहिर सेन आदि की जीवन सम्बन्धी घटनाओं को पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**राज्य मंत्री, शिक्षा** ( श्री जुझारसिंह ): (1)पाठ्यक्रम में केवल स्वतन्त्रता संग्राम के राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख नेताओं की वार्तायें ही सम्मिलित की गई हैं।

(2) अभी तक इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं। प्रान्तीय आधार पर नेताओं की वार्तायें पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं की जाती हैं। राजस्थान के नेताओं की वार्तायें भी सम्मिलित नहीं हैं।

श्री **भानुकुमार शास्त्री** : एक सीधा सा सवाल है। आजादी के अन्दर कौन प्रान्तीय स्तर का है और कौन केन्द्रीय स्तर का है। भारत की स्वतन्त्रता की लड़ाई के लिए जो लोग जूझे और अंग्रेज साम्राज्यवादियों के द्वारा जो फांसी पर लटकाये गये उनके लिए यह कहा जाय कि यह प्रान्तीय स्तर के हैं इसलिए इनको नहीं आना चाहिए यह अनुचित है और अनुत्तरदायित्वपूर्ण होगा। जिनका जीवन राष्ट्र के कोने कोने में फैल

(श्रीभानुकुमार शास्त्री)

जाय और जीवन की संध्या से पहले ही सूर्योदय हो रहा है, सन् 42 के अन्दर अंग्रेजी साम्राज्य ने फांसी पर लटका दिया उनके लिए राज्य सरकार का यह कहना बिल्कुल गलत है। यह प्रान्तीय स्तर के ही नहीं थे किन्तु यह कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के सदस्य रहे और आजादी की लड़ाई में भी उस दल से उन्होंने बलिदान किया और जूझे। उनका नाम इसमें भी आना चाहिए। राजा दाहिर सैन जैसे लोगों का नाम हमारी पाठ्य पुस्तकों में शामिल न करना हमारे लिए उचित नहीं है और गौरवपूर्ण भी नहीं है।

श्री जुझारसिंह : सब ही प्रान्तों के नेशनल पर्सनल्स को इन्क्लूड किया है। सिन्ध के लिये क्या हो और किसी दूसरे प्रान्त के लिये क्या हो ऐसी कोई मंशा नहीं थी। राजस्थान के प्रान्तीय हीरोज का नाम दिया जावेगा तो इस पर भी विचार कर लिया जावेगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल जयपुर) : जितने शहीदों ने भाग लिया है और जिन्होंने भी भाग लिया है स्वतन्त्रता संग्राम में उनके नाम पाठ्य पुस्तकों में कब तक सम्मिलित हो जावेंगे?

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में भी यह प्रश्न आया था। नेशनल हीरोज को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिये राज्य सरकार विचार कर रही है। नेक्स्ट ओपोर्चुनिटी आवेगी तब इस पर विचार कर लिया जावेगा जिसके लिये राज्य सरकार अवगत है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : नेक्स्ट ओपोर्चुनिटी कब आयेगी?

श्रीमती नगेन्द्र बाला (दीगोद) : मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि क्या यह सही नहीं है कि सन् 1964 में इसी विधान सभा ने एक प्रस्ताव पास किया था कि जितने भी स्वतन्त्रता संग्राम में जानें न्योछावर करने वाले हैं उनका पाठ्य पुस्तकों में उल्लेख होना चाहिए। सन् 64 में यह प्रस्ताव पारित हुआ था आपके यह रिकार्ड में है, पुस्तकों में है फिर भी आज तक इस पर कोई अमल क्यों नहीं हुआ?

श्री जुझार सिंह : आपने यह प्रश्न पूछा है इसके लिए मैं जानकारी कर लूंगा कि सन् 64 में क्या आश्वासन दिया गया था।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : आश्वासन नहीं। आश्वासन की बात नहीं है। सन् 64 में विधान सभा ने प्रस्ताव पारित किया और मेरी जानकारी के अनुसार इसके लिए कुछ स्टाफ भी गवर्नमेन्ट ने रखा था। आठ वर्ष में इस सन्दर्भ में क्या कुछ भी नहीं हो सका?

श्री श्रीराम गोटेवाला : जानकारी की आवश्यकता नहीं है। हम चाहते हैं इम्प्लीमेन्टेशन। सदन को आश्वासन दिया जाय कि इसका इम्प्लीमेन्टेशन हो जावेगा?

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : कल ही तो श्रद्धांजलियां अर्पित की हैं।

इस सन्दर्भ में आपने कोई ऐसी समिति का गठन किया है इस प्रश्न पर विचार करते हुए, आगे और पीछे का ख्याल करते

(श्री निरञ्जन नाथ आचार्य)
हुए कि सुझाव दिये जा रहे हैं, आपने कोई विचार किया है इसके लिए ?

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : सन् 1964 में निर्णय लिया और आज तक अमल नहीं किया उस पर यह सदन का अपमान है और दूसरा प्रिविलेज इश्यू भी है। क्या क्राइटेरिया रखा है कि किनको राष्ट्रीय हीरो मानते हैं ? जिन लोगों ने प्रजामण्डल की बुनियाद रखी, जमनालालजी बजाज जैसे, उनका कहीं कोई नाम नहीं। जिन्होंने राजस्थान में कांग्रेस का सबसे पहला राष्ट्रीय आन्दोलन चलाया और काम किया उनका आप नाम भी नहीं लेना चाहते, हीरालाल शास्त्री जिनका बड़ा योगदान है उनका भी नाम नहीं लेते।

श्रीमती **नगेन्द्रबाला** : आपका और हमारा नाम भी आना चाहिए।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : सरकार ने कोई राष्ट्रीय समिति स्थापित नहीं की जो इन राष्ट्रीय हीरोज के बारे में विचार करे और उनका सम्मान करें।

**एक माननीय सदस्य** : हीरालालजी शास्त्री का रेकार्ड अच्छा नहीं माना गया है। वे अंग्रेजों के एजेन्ट थे।

श्री **गुमानमल लोढ़ा** (जोधपुर) : कौन व्यक्ति ही राष्ट्रीय हीरो है और कोई नहीं है इसका माप दंड क्या है, क्या परिभाषा है उस बारे में कोई विचार नहीं किया गया। सन् 64 में इस प्रकार का निर्णय भी किया गया लेकिन कोई विचार नहीं किया गया। हमने रजत जयन्ती मनाने के लिए इतनी बड़ी तैयारी की। रजतजयन्ती के अवसर पर भी इस पर विचार न करें तो क्या स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर इस पर विचार करेंगे या हीरक जयन्ती के अवसर पर। यह तो एक खिलवाड़ है। सेनानियों की नामावली में पक्षपात हुआ है, इस प्रकार के समाचार आये हैं कि इस समारोह को एक दलीय स्तर पर लिया गया है और ऐसे कई व्यक्तियों को छोड़ दिया गया है जिन्होंने आजादी की लड़ाई में कुर्बानियां दी हैं। इसलिए सदन के नेता और मंत्रीमंडल इस पर विचार करें। स्वतन्त्रता संग्राम में जिन्होंने जीवन दिया है चाहे सिन्ध के हों या राजस्थान के या भारत के, वे स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी है।

श्री **अध्यक्ष** : No speech.

श्री **गुमानमल लोढ़ा** : सिन्धी भाषा को हमने और हमारे संविधान ने स्थान दिया है। सिन्ध में हमारे इस प्रकार के नेता हुए उनको भी इसमें लेना चाहिये।

श्री **श्रीराम गोटेवाला** : इनका आजादी की लड़ाई में कोई योगदान न रहा हो फिर भी इनका योगदान माना जाना चाहिए।

श्री **गुमानमल लोढ़ा** : गोटेवाला थे या नहीं उस समय, मुझे नहीं मालूम। लेकिन सन् 1942 के आन्दोलन में मैंने तो अग्निकाण्ड किये थे...

श्री **श्रीराम गोटेवाला** : माफी मांग कर छूटे।

श्री **गुमानमल लोढ़ा** : आप और आपके नेता लोग छूटे होंगे। मैं यह समझता हूं कि यह इस प्रकार का कहना ओब्जेक्शनेबल

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
है और माननीय सदस्य इस प्रकार का आरोप सदन के फ्लोर पर लगा रहे हैं उनको इसको वापिस लेना चाहिये और इसके लिए माफी मागनी चाहिये, यह एक शर्मनाक बात है उनकी कि वे इस स्तर की बात करते हैं।

**एक माननीय सदस्य** : स्वतन्त्रता सेनानियों को गिरफ्तार कराने वाले ये ही लोग हैं।

श्री **पूनमचन्द विश्नोई** : स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों का नाम पाठ्य पुस्तकों मे आना चाहिये। पाठ्य पुस्तकों में जीवन चरित्र भी होता है, कहानी भी होती है। ठीक बात और उचित बात यह होगी कि पाठ्यक्रम में कोर्स रखा जाना चाहिये आधुनिक इतिहास में। राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम चला और उसमें पूरा आन्दोलन चला और जिन लोगों ने उसमें हिस्सा लिया उन सबका वर्णन उसमें हो। गांधीजी, नेहरूजी, पटेल भी हुए हैं। जीवन चरित्र भी पचास साठ जीवनियों की पुस्तक हो। सीधी सादी बात यह है कि एक इसके लिए पेपर रखा जाना चाहिये। सेकण्डरी हायर सैकण्डरी स्तर को राजस्थान सरकार ने इतिहास लिखाया नाथूलाल जी से। यह उचित होगा कि राज्य सरकार पांच दस कार्यकर्ताओं को अलग अलग से पारितोषिक देकर लिखावें जिससे पांच दस पुस्तकें अलग अलग आ जावेंगी और स्वतन्त्रता संग्राम में किन लोगों का योगदान रहा है यह भी आ सकता है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री मोठालाल।

**श्री मोहनलाल छंगाणी** : राजस्थान सरकार ने इस बारे में एक कमेटी बनाई थी। उसने क्या किया ?

**श्रीमती नगेन्द्रबाला** (दीगोद) : यह जीवनी लिखने का प्रश्न नहीं है। इनकी संक्षिप्त जीवनियां पाठ्य पुस्तकों में आने का प्रश्न है।

**श्री अध्यक्ष** : यह आप पहले कह चुके हैं।

श्री **मोहनलाल छंगाणी** : राजस्थान सरकार ने कमेटी बनाई है और खासतौर से उसे राजस्थान के शहीदों के बारे में सोचना था।

श्री **अध्यक्ष** : मन्त्री महोदय।

श्री **जुझारसिंह** : अध्यक्ष महोदय, जिस सन्दर्भ में यह प्रश्न पूछा गया है वह यह था कि सिन्धी शहीदों की जीवन सम्बन्धी वार्तायें पाठ्य पुस्तकों में क्यों नहीं हैं और इस पर यह कहा गया था कि इसे जानबूझ कर अवाइड की गई है। तो इसके लिए सरकार ने उत्तर दिया। इसमें राजस्थान सरकार की न तो कोई मंशा जानबूझ कर किसी के देने न देने की नहीं थी और न यह थी कि राजस्थान के फ्रीडम फाइटर्स के नाम नहीं लिये जावें। ऐसी स्थिति में यह सारी डिबेट ही दूसरे मसले को लेकर खड़ी हो गई। तो जिस भावना से आपने यह प्रश्न पूछा उसका उत्तर मैंने दिया है। इसी सन्दर्भ में इसे आप लें।

श्री **पूनमचन्द विश्नोई** : अब आप हमारी बात मान लीजिये।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : आपकी मंशा में कुछ प्रगति हुई है, वह कह दीजिये ।

**शिक्षा मंत्री** (श्री चन्दनमल बैद) : प्रस्ताव आपके समय में पास हुआ है ।

**अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को कानूनी सलाह देने हेतु किया गया खर्च ।**

6. **श्री मीठालाल** (लालसोट) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान के विभिन्न जिलों में अलग अलग कितनी कितनी राशि 1970–71 व 1971–72 में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लोगों को न्यायालयों में कानूनी सलाह प्राप्त करने के रूप में कानूनी सलाहकारों को दी गई है ?

(2) उक्त वर्षों में केन्द्र से इस प्रकार के कार्य के लिये कितनी धन राशि प्राप्त हुई तथा उसमें से कितनी राशि खर्च की गई ।

(3) 1972–73 में उक्त मद के लिये कितनी राशि आवंटित की गई है ?

**समाज कल्याण मंत्री** (श्री ओंकारलाल चौहान) : (1) राजस्थान के विभिन्न जिलों में सन् 1970–71 व 71–72 में अनुसूचित जाति व जनजातियों के मुकद्दमों को न्यायालय में पैरवी के लिये आवंटित धनराशि की सूची सदन की मेज पर रख दी गई ।

(2) उक्त वर्षों में केन्द्र से कोई राशि इसके लिये प्राप्त नहीं हुई । अतः खर्चे का प्रश्न ही नहीं है ।

3) 1972–73 में 10,000 रुपये अनुसूचित जातियों के लिये व 10,000 रुपये अनुसूचित जन जातियों के लिये प्रावधान है ।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

**श्री मीठालाल** : माननीय अध्यक्षजी, जहां तक मेरी जानकारी है किसी भी जरूरतमन्द व्यक्ति को कानूनी सलाह के लिये कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई, न इसका उन्होंने कोई विज्ञापन निकाला जिससे लोगों को यह मालूम हो सके कि सरकार इस तरह से भी उनकी मदद करना चाहती है ।

दूसरे जैसा आपने कहा जिलेवार आवंटन करने का आपका आधार क्या है, मापदण्ड क्या है ? क्या प्रक्रिया है, किनको देते हैं, कौन देने वाला है ?

**श्री ओंकारलाल चौहान** : जनसंख्या और मांग के अनुसार यह आवंटित की जाती है और समाज कल्याण विभाग द्वारा राशि दी जाती है ।

**श्री मीठालाल** : क्या प्रक्रिया है, मापदण्ड क्या है, जिला का कलेक्टर देता है या कोई नेता महोदय देते हैं ?

**श्री ओंकारलाल चौहान** : समाज कल्याण विभाग द्वारा समाज कल्याण अधिकारी देता है ।

**श्री मीठालाल** : आपने कहा कि जन–संख्या की दृष्टि से दिया जाता है तो जो सूची आपने सदन की मेज पर रखी है उसके अनुसार आपने जयपुर में 70–71 में दो

# Page No. 10



(श्री मोठालाल)
हजार रुपये दिये बताये हैं और 71-72 में बिल्कुल नहीं दिया है। जोधपुर में जहां जनसंख्या कम है वहां दिया है, पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जहां जनसंख्या सबसे अधिक है 70-71 में केवल 500। 500 रुपये दिये हैं। जोधपुर और चुरू में आपने एक एक एक हजार रुपये दिये हैं। तो इस पर से तो कुछ पता लगता नहीं कि आपकी क्या प्रक्रिया है। फिर आपने डूंगरपुर में 70-71 में जिस व्यक्ति को रकम दी एक मुश्त वह कौन है? कहां कहां आप एक मुश्त रकम देते हैं या दी है?

**श्री ओंकारलाल चौहान :** अध्यक्ष महोदय, एक मुश्त रकम के लिये आपने पूछा वह हमने बीकानेर, जोधपुर, बारां, कोटा जयपुर एवं उदयपुर मुख्यालयों द्वारा 150 रुपया माहवार दी है लोगों को और वकील लगाये हैं।

**श्री मोहनलाल छंगाणी :** यह जोधपुर में ज्यादा मुकद्मे कराये हैं क्या? जिनको जोधपुर में आपने एकमुश्त 150 रुपये दिये वे क्या जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं?

**श्री ओंकारलाल चौहान :** नहीं नहीं।

**श्री गुमानमल लोढ़ा :** मैं यह कहना चाहूंगा कि समाज कल्याण विभाग जो यह रकम देता है उसकी क्या प्रोसीजर है? क्या इसके द्वारा इन आदिवासियों या हरिजनों के लिये कोई कानूनी सलाहकार नियुक्त किया जाता है अथवा व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है?

जहां तक मेरी जानकारी है जोधपुर में इस तरह की किसी को कोई मदद नहीं मिली न कोई इस तरह का कानूनी सलाहकार उनको समय समय पर कानूनी सलाह देने के लिये नियत किया गया है।

**श्री ओंकार लाल चौहान :** इस सम्बन्ध में नियम बने हुए हैं। नियम 16 के अनुसार जोधपुर में भी हमने एक वकील श्री रामगोपाल पुरोहित को 150 रुपया दिया है।

**श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट) :** आपने अब तक क्या किया है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में किसी को कोई इस प्रकार की सहायता नहीं दी। ये जो आपने नियम बना रखे हैं आपकी किताबों में ही हैं। आपने डूंगरपुर बांसवाड़ा में किस किस को कितनी कितनी मदद दी, दी हो तो बता दीजिये।

**श्री नाथूराम (बागीडोरा) :** अगर दोनों ही एक जाति के पक्ष विपक्ष में केस लड़ रहे हों तो दोनों में से किसको आप मदद देंगे?

**श्री ओंकार लाल चौहान :** ऐसा कोई केस हमारे सामने नहीं आया।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :** राजस्थान में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति के लोग डूंगरपुर और बांसवाड़ा में और उदयपुर भीलवाड़ा में हैं और राजस्थान के सबसे अधिक हरिजन गंगानगर में हैं। आपने इन स्थानों में किसी को कोई राशि नहीं दी। डूंगरपुर में सागड़ी के सम्बन्ध में सैंकड़ों

# Page No. 11



(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
प्रश्न आये हैं और गंगानगर में बड़े बड़े जमींदारों ने हरिजनों पर भयंकर अत्याचार किये। उनके मुकद्दमें लड़ने के लिये आपने कोई मदद दी ?

**श्री अध्यक्ष** : आप पूरक प्रश्न के रूप में पूछें।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : वही पूछ रहा हूं अध्यक्ष महोदय, इन दोनों तीनों स्थानों पर आपने क्या दिया ? और नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया ?

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : यह समाज कल्याण नहीं कांग्रेस कल्याण है।

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन** : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि यह जो राशि निर्धारित की गई है दस हजार रुपया अपर्याप्त है। फिर आप इन 150 रुपयों में जो वकील मुकर्रर करेंगे वह क्या कोई अच्छा वकील होगा, थर्ड क्लास वकील होगा 150 रुपये में कौन अच्छा वकील आपको मिलेगा। अगर इन थर्ड क्लास वकीलों को रखकर सरकार इन लोगों की पैरवी करावेगी तो वे कभी सफल नहीं हो सकेंगे। अच्छे वकील रखकर अधिक राशि का प्रोविजन सरकार रखे तो कुछ हो सकता है।

**श्री शंकरलाल (पाली)** : क्या वह सरकार इन लोगों के केसों की पैरवी अपने सरकारी वकीलों से नहीं करा सकती। यह 150 रुपया देकर पैरवी कराने की प्रणाली वास्तव में गलत है। इससे पैरवी हो नहीं सकेगी। सरकारी एडवोकेट ही रखे जाने चाहिये इसके लिये।

**श्री निरन्जन नाथ आचार्य** : आपका कैसा मूल्यांकन है ? इससे कितना फायदा हुआ इन जातियों का ?

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर)** : इसके आंकड़े भी हैं कि नहीं आपके पास कि यह जो रुपया आपने दिया उसका उपयोग हुआ या दुरुपयोग हुआ ?

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिये जहां अवेलेबल हों वहां अनुसूचित जाति एवं जनजाति के ही एडवोकेट को ही रखा जावे। इससे कम से कम इतना तो होगा कि वे उनके जान पहिचान के होंगे सगे सम्बन्धी भी हो सकते हैं, सुख दुख का उनको अनुभव होगा, सुख दुख में साथ देने वाले होंगे। अब जोधपुर में इनके लिये सत्तारूढ दल के किसी कांग्रेसी नेता को नियुक्त कर दिया। तो यह पोलिटिकल पेंशन आप उनको दे रहे हो, इन आदिवासियों और हरिजनों की मदद नहीं कर रहे हो, आप उन राजनैतिक शरणार्थियों को रिहेबिलिटेट करना चाह रहे हो। आप इन लोगों के नाम पर केवल इनका शोषण कर रहे हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इन्हीं में से नियुक्त करें।

**श्री औंकारलाल चौहान** : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो गंगानगर से आते हैं यह जानकारी दी है कि धनराशि नहीं है। मैं जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं सन् 70–71 में 500)रु. 71–72 में 500)रु. और अनुसूचित जन-जाति को 250) रु. दिया गया है।

# Page No. 12



श्री **योगेन्द्रनाथ हाण्डा** : यह बहुत बड़ी राशि दी गई।

श्री **विट्ठल भाई** : 500 रुपये के कितने केसेज बनते हैं आदिवासी इलाके में पुलिस परेशान करती है। कहां तक मदद दी है समाज कल्याण मंत्री जी बतायें।

श्री **लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर)** : मैं अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री महोदय का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा यह जो कुछ पैसा दिया गया है, इसका दुरुपयोग हो रहा है। शायद उनको व्यक्तिगत रूप से अनुभव नहीं हो। अगर इस समस्या का कोई सन्तोषजनक हल निकालने के लिये सरकार विचार करती है तो मैं समझता हूं मेरा सुझाव भी यही होने वाला था जो माननीय सदस्य श्री शंकर लाल जी ने कहा। इसमें जो कुछ भी आप पैसा देंगे, दुरुपयोग होगा क्या सरकार का यह अनुभव नहीं है कि दुरुपयोग होता है। इसमें आपा-धापी और भ्रष्टाचार निहित है। अगर आप सरकार को बाध्य इस सम्बन्ध में करते हैं तो कुछ न कुछ परिणाम निकलेगा, कुछ न कुछ हल निकलेगा। क्या सरकार यह अनुभव नहीं करती है ऐसी समस्या होने के पश्चात् कोई माप दण्ड निर्धारित करें। अभी तो मैं किसी को व्यक्तिगत रूप से छिद्रान्वेषण नहीं करना चाहता हूं लेकिन एक जिला कांग्रेस के अध्यक्ष के पास पैसा है वे क्या करते हैं, सरकार कोई छानबीन नहीं करे यह बहुत बड़ी अनियमितता है। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष को पैसा दें लेकिन कम से कम क्षेत्र के एम. एल. ए. की तो राय ली जाये। माननीय सदस्य श्री शंकर लाल जी ने सदन के समक्ष जो सुझाव रखा है, मैं उसका समर्थन करूंगा। सरकार इस सम्बन्ध में गंभीरता पूर्वक ध्यान दे। जो आपा-धापी और भ्रष्टाचार हो रहा है इसको फौरन बन्द कर दें।

श्री **ओंकार लाल चौहान** : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की है वह वास्तव में चिन्ता जरूर है लेकिन आपा-धापी और भ्रष्टाचार होना है मैं इसमे सहमत नहीं हूं।

श्री **योगेन्द्र नाथ हाण्डा** : अभी तो और सोच कर विचार कीजिये विभाग छिन रहे हैं।

श्री **ओंकारलाल चौहान** : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने तीन वकीलों का एक पैनल मुकर्रर किया है हर एक जिले के कलक्टर के मार्फत इसी के लिये जो अच्छे वकील हैं उनके पास केसेज भेजे जायं। आपने कहा पैरोकारों को दिये जायं तो उनके पास पहले से ही ज्यादा केसेज होते हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं इस प्रकार की व्यवस्था जो जिले के कलेक्टर के माध्यम से की गई है वह उपयुक्त है।

श्री **योगेन्द्र नाथ हाण्डा** : पैरोकारों की संख्या ही बढ़ा दीजिये।

श्री **शंकर लाल** : एडवोकेट की मारफत न दी जाकर पैरोकार की मार्फत दी जाय।

श्री **मोहनलाल छगाणी** : इसमें जो मदद दे रहे हैं बहुत ही नगण्य है। अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य शंकर लाल जी का जो सुझाव है, मान लेना चाहिये। गवर्नमेंट

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
एडवोकेट से सम्बन्धित जो अनुसूचित जाति के मुकदमें हैं उनसे लगातार मदद मिलती रहे इसके लिए बहुत आवश्यक है राज्य सरकार घोषणा करे।

**श्री नाथूराम** : यह जो धनराशि दी गई है ··· (अश्रव्य)

**एक माननीय सदस्य** : जो रूल्स बना रखे हैं राज्य सरकार ने ···

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न संख्या 7।

**सांचोर का शास्त्री सदन छात्रावास**

7. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर)** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि सांचोर में "शास्त्री सदन" अनुसूचित जाती छात्रावास अनुदानित चल रहा है? अगर हां, तो उक्त छात्रावास का इस सत्र का अनुदान अब तक क्यों नहीं रिलीज किया गया है और अब उक्त छात्रालय को अनुदान कब तक रिलीज कर दिया जावेगा?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उक्त छात्रावास का पिछले सत्र का अनुदान भी कुछ महीनों का बकाया है? अगर हां, तो कितने महीनों का तथा बकाया अनुदान कब तक दे दिया जावेगा?

(3) क्या सरकार उक्त छात्रावास को पूर्ण राजकीय छात्रावास घोषित करने का विचार रखती है? अगर हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

**समाज कल्याण मंत्री (श्री ओंकारलाल चौहान)** : (1) जी हां। सांचोर में शास्त्री सदन अनुसूचित जाति, अनुदानित छात्रावास चल रहा है। संस्था से जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आडिटेड स्टेटमेन्टस अनुदान जो प्राप्त हुआ एवं छात्रों की उपस्थिति के बारे में सूचना मांगी गई थी जिसके अभाव में अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया था। अतः उक्त सूचना प्राप्त होने पर ही कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(2) उक्त छात्रावास का गत सत्र के मार्च और अप्रेल 72 का अनुदान भी उक्त कारणों से नहीं दिया गया था। बकाया राशि भी उक्त सूचना प्राप्त होने पर दी जावेगी।

(3) जी नहीं। इस वर्ष बजट प्रावधान के अभाव के कारण इस छात्रावास को राजकीय छात्रावास करके विभाग द्वारा चलाना सम्भव नहीं है।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : अध्यक्ष महोदय यह कह रहे हैं आडिटेड अकाउन्टस की सूचना मांगी थी तो पिछले आडिट के आधार पर फन्ड्स रीलीज करते हैं। नवम्बर दिसम्बर में स्कूल खुलते हैं अनुदान आप टाइम पर देवें नहीं फिर कहां से लाये पैसे लड़के। कैसे खर्च चलायें।

**श्री ओंकारलाल चौहान** : अब कार्यवाही जल्दी की जा रही है।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : अध्यक्ष महोदय पिछले साल का बकाया है। इस साल की सेंक्शन चली गई। समाज कल्याण अधिकारी के पास पेश कर दी गई सिर्फ लापरवाही के कारण फन्डस रीलीज नहीं होते हैं। फिर एडजस्टमेंट्स होते हैं। कार्यवाही

# Page No. 14



**(श्री रघुनाथ विश्नोई)**

कैसे चलायें–किस तरह चलायें आप बता दीजिये यह तो अनुभव रहा है सैंक्सन भेज देते हैं–खर्चा नहीं भेजते शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स के लड़कों के पास पैसा है नहीं फिर किस तरह काम चले।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : अब फन्डस नियमानुसार रीलीज कर दूंगा यह तो कह सकते हैं।

**श्री ओंकार लाल चौहान** : शीघ्र नियमानुसार रीलीज कर दिया जायगा।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

**उद्योगों को दिया गया ऋण**

8. **श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** (रायसिंहनगर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान के उद्योग विभाग द्वारा 1967 से आज तक किस किस उद्योग को कितना कितना कर्जा दिया गया है ? सूचीमय उद्योगों, उद्योगों के मालिकों, रजिस्टर्ड फार्मों तथा उनके द्वारा लिये गये ऋण की राशि सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें से कितने उद्योगों ने इस ऋण का उपयोग किया और कितनों ने नहीं किया ? नामवार सूचित करें। उपभोग न किये गये ऋण की कुल राशि 1967 से आज तक की कितनी है ?

(3) यह ऋण किन शर्तों पर दिया जाता रहा है ? ऐसी कितनी फर्में हैं जिन्होंने किस्तें अदा नहीं की तथा किश्तों की कितनी राशि बकाया है ? बकाया किश्तों की वसूली के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

**राज्य मंत्री गृह (श्रीमती कमला बेनिवाल)** : अध्यक्ष महोदय इस प्रश्न का विवरण तैयार होने में टाइम लगेगा अतः इस प्रश्न को पोस्टपोन कर दिया जाय।

**श्री अध्यक्ष** : स्थगित किया गया।

**श्री मोहनलाल छंगाणी** : अध्यक्ष महोदय यह प्रश्न राज्य सरकार की नीति से जुड़ा हुआ है। इसमें बड़े घोटाले हैं और उत्तर को टाला जा रहा है।

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : पूर्ण विवरण प्राप्त नही होने से अपूर्ण विवरण पेश करना कोई मायने नहीं रखता है। अतः जब तक पूर्ण विवरण प्राप्त नहीं हो जाय तब तक के लिए स्थगित रखा जाय।

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** : अध्यक्ष महोदय यह प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है। सरकार बहुत बड़े तथ्यों को छिपाना चाहती है। सरकार की गलत नीतियों के कारण बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। पिछले पांच वर्षों में दो करोड़ 82 लाख का लोन दिया गया जिसमें 1 करोड़ 31 लाख जे. के. सिन्थेटिक्स को मिला। अध्यक्ष महोदय यह मामला सदन के सामने आना चाहिये।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : यह प्रश्न पहली दफा नहीं आया है। कई बार आ चुका है।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

**एक माननीय सदस्य :** इसके बारे में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

**श्री शंकरलाल :** अध्यक्ष महोदय परसों तक इसका जवाब आ जाय।

**श्री मोहनलाल छंगाणी :** अध्यक्ष महोदय आपकी मदद चाहते हैं सरकार को बाध्य करें जल्दी से जल्दी प्रश्न का उत्तर दिया जाय।

**श्री शंकरलाल (पाली) :**

**श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) :** अध्यक्ष महोदय, इसी सत्र में उत्तर देने के लिये कहा जाय।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :**

**श्री अध्यक्ष :** नेक्स्ट।

**श्री लक्ष्मणसिंह :** अध्यक्ष महोदय यह एक सीधा सादा प्रश्न है। सरकार का जवाब तैयार नहीं है इस सम्बन्ध में मुझे हैरत और आश्चर्य है। वहां पर आपको करना क्या है। आपकी किताबों को खोल कर देखना है कितना कितना ऋण किस किस को दिया गया। अगर यह जानकारी भी नहीं है तो सरकार की संज्ञा में ही नहीं आता। मैं नहीं कहूंगा यह तो एक तरह की बसपस घाणी जिसमें आधे तेल और आधे पानी की व्यवस्था है। सरकार के कामन सेन्स का प्रश्न है। सरकार जवाब नहीं देती है तो जानबूझ कर इसको अवाइड करना है। सरकार की लेतलाली है और इससे बढ़कर भर्त्सना सरकार की कोई नहीं कर सकता है। क्या राज्य मन्त्री महोदया पुनः विचार करके कुछ उत्तर देने की कृपा करेंगी ?

**श्रीमती कमला बेनीवाल :** राज्य सरकार इस प्रश्न को अवाइड नहीं करना चाहती हैं। परसों. .भी. नहीं देना हो सकता है, क्योंकि जितना लम्बा विवरण है उसको तैयार करने में वक्त लगता है.. जितनी जानकारी उपलब्ध है वह अभी अधूरी है इसलिये इसके लिये समय मिलना चाहिये।

**श्री रोशनलाल शर्मा :** कितने वर्ष लगेंगे। आपको तो रजिस्टर ही तो देखने हैं या अपने अधिकारियों से पूछना है और करना क्या है आपको ?

**श्रीमती कमला बेनीवाल :** मैं कोशिश करूंगी कि परसों असेम्बली का आखिरी दिन है और उस समय इसका उत्तर मिल जाये लेकिन नहीं हो सका तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगी।

**श्री लक्ष्मणसिंह :** माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया से मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगा कि राजस्थान की सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि इस प्रश्न का वह उत्तर दे और अवश्य दे।

**श्रीमती कमला बेनीवाल :** राज्य सरकार उत्तर देगी और जरूर देगी। परसों तक सम्भव हो गया तो है इस प्रश्न का उत्तर दे दूंगी।

# Page No. 16



श्री **अध्यक्ष** : सदन की भावना को रखकर जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : कोई चीज मांगो तो सरकार कहती है कि 600 करोड़ का कर्जा है, 90 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट है और सरकार यह भी जानती है कि किस किस विभाग से कितना कितना लेना है सरकार को।

श्री **मोहनलाल छंगाणी** : मैं आपको तथ्य बताऊं अभी पावर केबल में 95 पर्सेन्ट हमारा इनवेस्टमेन्ट है··

श्री **अध्यक्ष** : बैठें।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : अध्यक्ष महोदय, जहां सरकार को पता ही नहीं कि कितना कितना लोन है तो उसकी रिकवरी कैसे करेगी सरकार···

श्री **अध्यक्ष** : बैठें।

अगला प्रश्न। श्री श्रीराम गोटेवाला।

**नगर विकास न्यास जयपुर द्वारा कम्पाउण्ड किए गए मामले**

9. श्री **श्रीराम गोटेवाला**) किशनपोल, जयपुर) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर विकास न्यास द्वारा गत 5 वर्षों में कितने ऐसे मामले जो अदालत में चल रहे थे कम्पाउन्ड किये गए व कितने ऐसे मामले न्यास के कार्यालय में चल रहे थे जिन्हें कम्पाउन्ड किया गया ?

(2) न्यास द्वारा कितने मामलों में अवैध निर्माण को गिराया गया ?

**नगर आयोजना मंत्री** (श्री परसराम मदेरणा) : माननीय अध्यक्षजी, इस प्रश्न के सम्बन्ध में वांछित सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है····

श्री **श्रीराम गोटेवाला** : अध्यक्ष महोदय, तीन रोज में मुझे उत्तर मिल जायेगा ऐसी मुझे आशा थी। यह बहुत साधारण प्रश्न है, सारे आंकड़े उपलब्ध हैं फिर पता नहीं क्यों नहीं उत्तर देना चाहते हैं।

श्री **परसराम मदेरणा** : पोसपोन नहीं करवा रहा हूं। 18 तारीख को हालांकि मेरा प्रश्न के उत्तर देने की टर्न नहीं है लेकिन फिर भी मैं इस प्रश्न का जवाब 18 तारीख को दे दूंगा।

श्री **अध्यक्ष** . श्री मोहरसिंह !

**चूरू जिले की नई जल योजनायें**

10 श्री **मोहरसिंह** (चूरू) : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चूरू जिले में चालू वर्ष में कौन कौन से स्थानों के लिए नई जल योजना स्वीकार की गई है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इनमें से कौन कौन से स्थान पर काम चालू हो गया है ?

**जन-स्वास्थ्य मंत्री** (श्री चन्दनमल बैद): (1) चूरू जिले में चालू वर्ष में स्वीकृत

Page No. 17



(श्री चन्दनमल बैद)
योजनाओं का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(2) इनमें से सब ही योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ हो गया है ।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : शुरू में बहुत जल्दी काम शुरू हुए ?

**श्री चन्दनमल बैद** : आपने भरतपुर का नहीं पूछा । भरतपुर में भी बहुत से काम शुरू हुए हैं ।

**श्री अध्यक्ष** : श्री गिरधारीलाल भार्गव !

**गत तीन वर्षों में निलम्बित किए गए कर्मचारी**

11. **श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर) : श्री गिरधारीलाल भार्गव की ओर से : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत तीन वर्षों में निदेशक समाज कल्याण विभाग ने अपने विभाग के कितने कर्मचारियों को निलम्बित किया ? उनके नाम, पद, कारणों, निलम्बन की तारीखों सहित सूची सदन की मेज पर रखी जाये ।

(2) क्या निलम्बित कर्मचारियों में श्रीमती सुमन भी हैं ? यदि हां, तो कब से उनको निलम्बित किया गया है ?

(3) जिन कर्मचारियों को निलम्बित किया गया उनमें से कितनों को पुनः अपने पद पर लिया गया ? जिनको पुनः काम पर लिया गया, उनमें से किनको सजा दी गई और किनको दोषमुक्त किया गया ?

**समाज कल्याण राज्य मंत्री** (श्री औंकार लाल चौहान) : (1) निदेशालय, समाज कल्याण विभाग में गत तीन वर्षों में जिन 62 कर्मचारियों को निलम्बित किया गया हैं उनके नाम, पद, कारणों, निलम्बन की तारीख सहित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : वह सूची कहां है ? आपके पास है या सदन के पटल पर है ?

**श्री औंकारलाल चौहान** : मैं सूची आपके पास पहुंचा देता हूं ।

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : लिस्ट नहीं होगी तो सप्लीमेंटरी क्या पूछें ?

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : अब तो आपके पास बहुत समय है । खुला समय है ।

**श्री औंकारलाल चौहान** : ( ) जी हां, इन निलम्बित कर्मचारियों में श्रीमती सुमन भारतिया भी है । इन्हें दिनांक 12–7–72 को निलम्बित किया था ।

(3) जिन कर्मचारियों को निलम्बित किया गया था उनमें से 36 कर्मचारियों को बहाल कर दिया गया है, जिनमें से 16 कर्मचारियों को सजा दी गई, 5 कर्मचारियों को दोषमुक्त कर दिया

(श्री ओंकार लाल चौहान)
गया है तथा 15 कर्मचारियों के मामलों की जांच अभी चालू है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

**श्री निरंजन नाथ आचार्य** : सजा का क्या रूप है? क्षमा याचना है या क्या है? या तनख्वाह में कटौती है?

**श्री ओंकारलाल चौहान** : क्षमा याचना भी है इस सम्बन्ध में।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : थोड़ा सा तो आगे बढ़ाइये न क्रम को। उसमें अपराधों का क्या क्रम है, निलम्बन की क्या सीमा है, कितने साल तक निलम्बित रहे, उसके बाद क्या सजा हुई, उनके साथ क्या अपराध रहे या जो अधिकारी महोदय हैं इन्हों का विवेक रहा या कोई इन्क्वायरी कराने के साथ ही साथ किस के माध्यम से इन्क्वायरी कराई या उन्हीं ने करदी?

**श्री ओंकारलाल चौहान**: मूल प्रश्न में मैंने निवेदन किया कि 36 कर्मचारियों को बहाल किया गया, 16 को सजा दी गयी।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : यह तो आपने कह दिया। मेरा प्रश्न नहीं समझे आप सजा का नेचर, निलम्बन की अवधि, सजा के कारण और इन्क्वायरी का माध्यम—इन सब के बारे में क्या कहना है?

**श्री ओंकारलाल चौहान**: जो सूचना मेरे पास है उसको सदन की मेज पर रख दी है।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : मेज पर नहीं है कागजों में है।

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : सजा की नेचर पूछी जा रही है।

**श्री ओंकारलाल चौहान** : मैंने कहा कि सूची सदन की मेज पर रख दी है।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : मैंने कहा कि अधिकारी को निलम्बित किया तो क्या उसने शोक दिया और निलम्बन हो गया? क्या सामने बोल दिया निलम्बन हो गया? कितने महीने तक निलम्बन रहा? इन्क्वायरी कितने दिन तक चली और कब वापिस रेस्टोर हुए यह सारे प्रश्न हैं?

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : कितने कर्मचारियों को डिसमिस्ड किया गया?

**श्री ओंकारलाल चौहान** : कोई भी ऐसा कर्मचारी नहीं है जिसका डिसमिसल किया गया हो।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : मेरा प्रश्न आपने डिसमिस में डाल दिया।

**श्री अध्यक्ष** : आपका प्रश्न लम्बा बहुत है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : प्रश्न लम्बा नहीं है स्पष्ट है।

**श्री ओंकारलाल चौहान** : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि 62 की सूची है अगर आज्ञा हो तो पढ़ दूं।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : अध्यक्ष महोदय सूची में नहीं है। मेरा तो प्रश्न है कि किस तरह से उनको निलम्बित किया? किन आधारों पर किया? क्या अपराध बनाया गया? निलम्बन का समय क्या रहा? कब

# Page No. 19



(श्री निरंजननाथ आचार्य )
रैस्टोर हुए और किस के माध्यम से इन्क्वायरी हुई ? सारा कदम एक ही व्यक्ति ... है ?

श्री ओंकारलाल चौहान : मैंने निवेदन किया कि सूची में सब कुछ दिया गया है । मैं एक दो को पढ़कर सुना देता हूं । रतिराम गुप्ता लेखा लिपिक रिश्वत के मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार होने के कारण 13-8-59 को निलम्बित किया गया और कोर्ट में मामला चल रहा है । नम्बर 2- राम स्वरूप गौतम वरिष्ठ लिपिक सेवा पुस्तक गायब करने तथा शराब पीने के सम्बन्ध मे 21-11-69 को निलम्बित किया गया और 13-2-70 को एक वार्षिक इन्क्रीमेन्ट रोका गया । इस प्रकार से 62 व्यक्ति हैं ।

श्री अध्यक्ष नेक्स्ट ! श्री मोहनलाल छंगाणी ।

## कृषि अनुसंधान कार्य

12. श्री मोहनलाल छंगाणी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में 31 मार्च, 1972 तक कृषि विभाग द्वारा कोई कृषि अनुसंधान कार्य किया गया ? यदि हां तो उसके क्या परिणाम निकले तथा इसका मूल्यांकन राज्य सरकार द्वारा कब कब किया गया ?

(2) क्या कृषि अनुसंधान कार्य की पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन को मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) उक्त अनुसंधान कार्य, कृषि के किस क्षेत्र में किया गया व अब तक उस पर कितना व्यय किया गया है ?

कृषि मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) :
(1) राजस्थान में अब तक कृषि संबंधी अन्वेषणों द्वारा नई अधिक उपज देने वाली फसलों की किस्में तैयार की गई हैं । उनसे अधिकतम उपज पाने की कृषि विधियां, फसलों को कीट व व्याधियों से बचाने के लिए उपज व भूमि को उर्वरक शक्ति की जांच व सर्वेक्षण तथा क्षारीय भूमि व पानी को कृषि योग्य बनाने की विधियां निकाली गई हैं । इनके परिणामों से कृषकों को लाभ हुआ है तथा उपज बढ़ी है । परिणामों का मूल्यांकन वर्ष में दो बार राजस्थान राज्य अन्वेषण समिति द्वारा किया जाता है तथा अखिल भारतीय स्तर पर विशेषज्ञों की गोष्ठियों में होता है । उक्त समिति विभिन्न फसलों पर किये गये कार्य का लेखाजोखा लेती है ।

(2) विभिन्न शाखाओं की रिपोर्ट पुस्तक के रूप में तैयार की जा चुकी है जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) कृषि के वनस्पति विज्ञान, शस्य विज्ञान, पौध व्याधि तथा कीट विज्ञान व कृषि रसायन क्षेत्रों में अन्वेषण कार्य किये जा रहे हैं । राजस्थान में इस कार्य के लिये जयपुर, श्रीगंगानगर, कोटा, जोधपुर उदयपुर केन्द्रों पर कार्य किये जा रहे हैं और उन पर 60–61 से 71–72 तक 2.43 करोड़ (दो करोड़ 43 लाख) रुपया व्यय किया गया है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

# Page No. 20



**श्री केदारनाथ :** रिसर्च इन्सटीट्यूट को आपने एग्रीकल्चर कालेज के साथ लिंक क्यों नहीं किया ?

**श्री मोहनलाल छंगाणी:** अध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसा मत है कि आज जो 2 करोड़ 83 लाख रुपया रिसर्च पर खर्च हुआ है वह बिलकुल नाजायज है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने सिर्फ एक पोषक जो रिसर्च कहते हैं पेश किया और उसका परिणाम हमें मालूम है। आज तक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जो हमारा ड्राट का एरिया है। 62 परसेन्ट रैगिस्तानी है उसके लिए एक प्रश्न पूछा कि ऐसी कौनसी पोषक ड्राट रेसिस्टेन्ट क्वालिटी रिसर्च की जिससे हमारा उत्पादन बढ़ा। मैं कहता हूं कि हाई ब्रीड बाजरा बाहर से आ गया और उसको हम सप्लाई करते हैं आज इसी रिसर्च के नाम पर हमारा कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का बेस नहीं है। जहां तक एन्टोमोलोजी का प्रश्न है, पूरी तरह से देख नहीं पाए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसी सम्बन्ध में एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं कि 62 परसेंट एरिया सेंट्रल एरिड जोन केन्द्र जोधपुर के अन्दर है और उन्होंने बहुत ज्यादा कार्य किया है लेकिन उनके साथ कोई कोआर्डीनेशन नहीं है, इनका इसके सम्बन्ध में कोई कार्य नहीं है और खर्चा ज्यादा है तो उनको बन्द क्यों नहीं किया जाता है। अगर इनका कोई योगदान नहीं है तो मैं मंत्री महोदय से प्रश्न पूछना चाहूंगा कि वे इसको बन्द करने के बारे में गम्भीरता से विचार करें और जो इस पर 2 करोड़ 83 लाख का खर्चा किया जाता है उसको बन्द किया जाय।

**श्री रघुनाथ विश्नोई :** क्या कोई ऐसा भी बीज तैयार किया गया है जो बिना बरसात के पैदा हो जाय ?

**श्री परसराम मदेरणा :** खेती के सम्बन्ध में रिसर्च करने का सम्बन्ध केवल बीज की रिसर्च से ही खेती का सम्बन्ध नहीं है। खेती के लिए और भी बहुत सारे रिसर्च होते हैं। मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि खेती के सम्बन्ध में अलग अलग क्राइटेरिया हैं। एन्टोमोलोजी, एग्रोनोमी, बोटोनी और प्लाण्ट पेथोलोजी इसके अलग अलग भाग हैं। एग्रीकल्चर रिसर्च के सम्बन्ध में मैंने आपको कोट फाईड किताब दी है उसको पढ़ने का कष्ट करें। रिसर्च का जहां तक प्रश्न है इंस्टीट्यूट आफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि रिसर्च की एक इंस्टीट्यूट है इसको शाखाएं भी देश के कई भागों में लगी हुई हैं और इसका सब्जेक्ट मेटर सायल एण्ड फर्टीलिटी है। इसकी एक शाखा कोटा में भी दी गई है और जिसको सायल का काम दिया गया है जहां पर उनके साइंटिस्ट काम करेंगे और उनके साथ ही हमारे साइंटिस्ट भी काम करते हैं। माननीय सदस्यों को मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि रिसर्च के सम्बन्ध में क्यों खर्चा किया जा रहा है और क्यों किया जाना चाहिए। आज रिसर्च कई क्षेत्रों में हो रही है, स्पेस के सम्बन्ध में रिसर्च हो रही है और भी दूसरे क्षेत्रों में रिसर्च हो रही है और हो सकता है कि इसमें बहुत से जो धनाढ्य देश हैं वे बहुत अधिक धनराशि खर्च कर सकें लेकिन हिन्दुस्तान गरीब देश है जो इस पर इतनी अधिक धनराशि खर्च नहीं कर सकता। हिन्दुस्तान की अधिकतर पोपुलेशन

# Page No. 21



(श्री परसराम मदेरणा)
खेती पर डिपेंड करती है और ड्रॉट की कण्डीशन हमेशा बनी रहती है। इसके सम्बन्ध में साइल का स्ट्रक्चर, प्लाण्ट पेथोलोजी के सम्बन्ध में और साथ ही उन्नत किस्म के बीज के रिसर्च के सम्बन्ध में, इन्टेसिव खेती और उसके फण्डामेंटल रिसर्च के लिए बराबर अलग से व्यवस्था रखनी होगी अगर. खेती को आगे बढ़ाना है और देश को भूखों मरने से बचाना है।

फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार की नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की रिपोर्ट निकली है। उस इण्टरिम रिपोर्ट में आस्पेक्ट्स आफ एग्रीकल्चर रिसर्च एण्ड प्लानिंग के सम्बन्ध में उन्होंने अपनी रिकमन्डेशन की है और उन्होंने यह बात कही है कि फण्डामेंटल रिसर्च जो है वह यूनिवर्सिटी के पास रहना चाहिए और फन्डामेंटल रिसर्च 63 से उदयपुर यूनिवर्सिटी को, जो कि पहले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी और अब मल्टी-फेकल्टी युनिवर्सिटी है, उसको ट्रांसफर कर दिया और एप्लाइड रिसर्च का काम उनको ट्रांसफर कर दिया है। प्रश्न यह रहता है कि नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने इसको तीन भागों में डिवाइड किया है, फण्डामेंटल रिसर्च····

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, इस पर हाफ एन आवर डिस्कशन कर दिया जावे, हमारे सवाल निकले जा रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इसको हाफ एन आवर डिस्कशन में ट्रांसफर कर दिया जावे।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अकाल के सम्बन्ध में विचार हो तब बता दें। उस समय सम्मिलित रूप से कह दें।

श्री परसराम मदेरणा : नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन ने····

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैं एक बात मंत्री महोदय को निवेदन कर दूं। नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने जो रिसर्च के सम्बन्ध में रिपोर्ट दी है वह अभी तक लागू नहीं हुई है। आप जो बता रहे हैं वह मैं मानता हूं और मैं यह भी निवेदन कर दूं कि इसमें दो राय भी हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। और भी सवाल हैं।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : इसको हाफ एन आवर डिस्कशन में ट्रांसफर कर दें।

श्री अध्यक्ष : यह अभी नहीं कर सकता, आप नोटिस दीजिए।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : आप ही कर दें इसको।

श्री अध्यक्ष : यह मुझ से नहीं होगा।

नेक्स्ट, श्री निरंजन नाथ आचार्य।

**ग्रामीण बेरोजगारों के लिए भारत सरकार से अनुदान**

13. **श्री निरंजन नाथ आचार्य** (मावली): क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण बेरोजगारों को रोजी पर लगाने के लिए भारत सरकार ने राज्य सरकार को 15 लाख रुपये अनुदान में दिये? यदि हां, तो कब दिये और अब तक उक्त धनराशि में से कितना खर्च किया जा चुका है?

(2) कृपया जिला स्तर पर उक्त खर्च का विवरण सदन के पटल पर रखें।

**योजना मंत्री** (श्री चन्दनमल बैद) : माननीय अध्यक्ष, इस प्रश्न का सम्बन्ध डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से है और मैं आपको पहले ही 11 तारीख को ही निवेदन कर चुका हूँ कि चूंकि इसका सम्बन्ध डवलपमेंट से है इसलिए डवलपमेंट मिनिस्टर डिपार्टमेंट ही अपने टर्न पर इसका जवाब देंगे।

**श्री निरंजन नाथ आचार्य** : यह तो मामूली सा मामला है, डवलपमेंट मिनिस्टर महोदय आज ही निपटा दें।

**श्री चन्दनमल बैद** : मामूली सा नहीं है। आपने बहुत से आंकड़े मांगे हैं··

**श्री निरन्जन नाथ आचार्य** : मैं आपसे निवेदन नहीं कर रहा हूं।

**श्री चन्दनमल बैद** : मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं··

**श्री निरंजन नाथ आचार्य** : मैं तो उधर मुखातिब हो चुका हूं।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

श्री रघुनाथ विश्नोई।

**राहत कार्यों के अन्तर्गत केरिया बांध का कार्य**

14. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष अकाल सहायता विभाग द्वारा केरिया बांध जो पिछले अकाल वर्ष में अपूर्ण रह गया था की मंजूरी दी गई थी? अगर हां, तो कब?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उक्त बांध के अपूर्ण कार्य का तखमीना सिंचाई विभाग द्वारा पेश कर दिया गया था एवं उसी के आधार पर सरकार द्वारा मंजूरी दी गई थी? अगर हां, तो सिंचाई विभाग के तखमीने के आधार पर कितनी धनराशि की मांग की गई थी?

(3) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त अपूर्ण बांध के कार्य को पूर्ण कराने के लिए गल्ती से सिर्फ 4000) रु. रकम लिख दी गई है, जब कि सिंचाई विभाग के तखमीने के आधार पर उसी रकम की हद कर मंजूरी दी गई थी? अगर हां, तो उपरोक्त गल्ती की दुरुस्ती कब तक कर दी जावेगी? क्या यह भी सत्य है कि सिंचाई विभाग बांध पूरा कराने के लिए अपने तखमीने के आधार पर ही कार्य कर रहा

# Page No. 23



(श्री रघुनाथ विश्नोई)

है ? अगर हां, तो उपरोक्त मंजूरी सही कब तक को जाकर मजदूरों की मजदूरी का भुगतान करा दिया जावेगा ?

**अकाल सहायता मंत्री** ( श्री परसराम मदेरणा) : (1) जी हां। बांध कार्य की स्वीकृति दिनांक 15–6–72 को दी गई थी।

(2) जी हां। उक्त बांध के अपूर्ण कार्य पर तखमीना सिंचाई विभाग द्वारा पेश कर दिया गया था किन्तु स्वीकृति कार्य चलने के अनुमानित दिनों को ध्यान में रखते हुए 5000) रु. की दी गई थी।

(3) जी नहीं। उपरोक्त बांध कार्य को चलाने के लिए प्रारम्भ में 5000) रु. की स्वीकृति दी गई थी। अब चूंकि वर्षा नहीं हुई है और कार्य चालू है अत: अधिक स्वीकृति की कार्यवाही विचाराधीन है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री श्रीराम गोटे वाला।

**सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री में पानी की व्यवस्था**

15. श्री **श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सवाईमाधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री की कुल आबादी कितनी है ?

(2) सवाईमाधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री में पानी की क्या व्यवस्था है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त फैक्ट्री में (रहने वाले निवासियों में) पीलिये की बीमारी फैली हुई है ?

(4) उक्त फैक्ट्री में बीमारी सम्बन्धी गत तीन वर्षों के तथ्यों से अवगत करायें और सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में क्या प्रयास किये गये हैं ?

**जन स्वास्थ्य मंत्री** (श्री चन्दनमल बैद): यह प्रश्न भी मेडिकल डिपार्टमेंट और इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट से सम्बन्ध रखता है जन स्वास्थ्य विभाग से इसका सम्बन्ध नहीं है। इसके बारे में निवेदन किया जा चुका है कि इसका मेरे डिपार्टमेंट से सम्बन्ध नहीं है।

श्री **श्रीराम गोटे वाला** : पीने के पानी का तो आपसे ही सम्बन्ध है ?

श्री **चन्दनमल बैद** : पीने के पानी का ही सम्बन्ध नहीं है। आप देखिये कि गांवों में जहां जल योजना प्रारम्भ ही नहीं है वहां पर भी जन स्वास्थ्य विभाग का अड़ंगा हो, ऐसी बात नहीं है।

श्री **निरंजन नाथ आचार्य** : आपका अड़ंगा तो रहता ही है।

श्री **योगेन्द्र नाथ हाण्डा** : एक ही जगह लगाया है जिसने सारे राजस्थान को (अश्रव्य) कर रखा है।

श्री **अध्यक्ष** : श्री जयकिशनलाल।

**फागी व चाकसू तहसीलों में किया गया खर्च**

16. श्री **जयकिशन लाल तोसावडा** (फागी): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) फागी व चाकसू तहसील में किन किन स्थानों पर किस किस मद में

(श्री जय किशन लाल तोसावड़ा)
समाज कल्याण विभाग ने सन् 1967 से आज तक क्या क्या खर्च किया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि चाकसू में जवाहर छात्रावास को राज्य सरकार द्वारा कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं ?

(3) क्या फागी में भी राज्य सरकार अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को सहूलियतें प्रदान करने हेतु छात्रावास का निर्माण करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) समाज कल्याण विभाग द्वारा फागी व चाकसू क्षेत्र में कहां कहां क्या योजनायें चलाई जा रही हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

**समाज कल्याण मंत्री** (श्री ओंकार लाल चौहान): (1) सन् 1967 से अब तक समाज कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न मदों में पंचायत समितियों को स्वीकृत धनराशि की सूची 'अ' तथा अन्य क्षेत्रों में जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारियों एवं नगरपालिकाओं को आवंटित धनराशि की सूची (ब) सदन की मेज पर रख दी गई है। समाज कल्याण विभाग द्वारा पंचायत समितियों को धनराशि आवंटित की जाती है एवं स्थानों एवं व्यक्तियों को स्वीकृति पंचायत समितियों द्वारा दी जाती है। अतः यह जानकारी विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(2) जी हां। चूंकि जवाहर छात्रावास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त छात्रावास नहीं है।

(3) भवन का निर्माण उसी स्थान पर करना सम्भव है जहां राजकीय अथवा अनुदानित छात्रावास चल रहा हो। चूंकि फागी में ऐसा कोई छात्रावास नहीं है अतः छात्रावास भवन के निर्माण का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(4) समाज कल्याण द्वारा फागी व चाकसू क्षेत्रों में कोई अन्य योजनाएं नहीं चलाई जा रही है? इन क्षेत्रों में जिन कार्यों के लिये धनराशि स्वीकृत की गई है उसकी जानकारी उपरोक्त सूची 'अ' 'ब' में अंकित है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री **जयकिशनलाल तोसावडा**: प्रश्न का उत्तर बहुत ही अधूरा है। जवाहरलाल छात्रावास के बारे में मंत्री महोदय ने बताया है उसके बारे में मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यहां पर जितने भी विद्यार्थी हैं उनके बारे में आपकी तरफ से क्या कोई सुविधा दी जा रही है ?

श्री **ओंकारलाल चौहान** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि जवाहर छात्रावास राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। माननीय सदस्य यदि उस छात्रावास के लिये मान्यता प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो उसके सम्बन्ध में जो भी धनराशि स्वीकृत की जा सकती है, की जावेगी।

श्री **जयकिशनलाल तोसावडा** : इसको मान्यता कब दे देंगे ?

श्री **ओंकारलाल चौहान** : माननीय सदस्य को इसके लिये याद होना चाहिये

(श्री ओंकारलाल चौहान)

कि इसके लिये फार्म होता है और उसमें आवेदन करना पड़ता है और उसमें सब तरह की तखमीलें पूरी करनी पड़ेंगी उसके बाद मान्यता होने पर धनराशि आवंटित कर दी जावेगी।

**श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा** : प्रश्न नं. 2। फागी मे हायर सेकेण्ड्री स्कूल है जिसमें तीनों फैकल्टी चल रही हैं, साइन्स, आर्ट और कामर्स और उनमें विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं, जिनमें बहुत सारे स्टुडेन्ट आस पास के गांवों के हैं। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि यदि वहां पर कोई छात्रावास कायम कर दिया जावे या स्थापित कर दिया जावे तो वहां के विद्यार्थी पूर्ण रूपेण सुविधा से अध्ययन कर सकेंगे। यही मेरा निवेदन है।

**श्री औंकारलाल चौहान** : अध्यक्ष महोदय, नए छात्रावास खोलने के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है इसलिए सरकार यहां छात्रावास खोलने का कोई विचार नहीं रखती।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** : आधे घण्टे का समय और बढ़ा दिया जाय।

**श्री अध्यक्ष** : जी नहीं।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिये परिशिष्ट 5 देखिये)

## अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

### पंचायत समिति श्री डूंगरगढ़ द्वारा हरिजनों को मकान बनाने हेतु सहायता

**2. श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा)** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) चूरू जिले की पंचायत समिति श्री डूंगरगढ़ के गठन से आज तक हरिजनों को मकान बनाने के लिए सहायता के रूप में कितने कितने हजार रुपये किस किस वर्ष में किस किस व्यक्ति को दिये गये? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा उपरोक्त पंचायत समिति को दी गई धनराशि आज तक किसी भी हरिजन के मकान बनाने पर खर्च नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों?

### उत्तर

चूरू जिले की पंचायत समिति श्री डूंगरगढ़ के गठन से आज तक 3 हरिजन परिवारों को मकान बनाने के लिए सहायता के रूप में 2250) रु. की राशि वर्ष 62–68 में आवंटित की गई थी तथा वर्ष 67–68 में 250) रु. उन्हीं परिवारों को आवंटित किये गये थे। किस किस वर्ष में किस किस व्यक्ति को कितनी मकान सहायता दी गई यह सूचना समाज कल्याण विभाग में उपलब्ध नहीं है। समाज कल्याण विभाग द्वारा धनराशि पंचायत समितियों को आवंटित की जाती है।

(समाज कल्याण मंत्री)

इसकी जानकारी विभाग के पास नहीं है क्योंकि वित्त विभाग के दिनांक 28–10–1970 के आदेश द्वारा आवंटित धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र देने की शर्त वर्ष 1970 तक आवंटित धनराशि के लिए हटा दी गई थी। इस कारण विभाग को इसकी सूचना प्राप्त नहीं हुई।

**स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था**

**श्री अध्यक्ष :** 1. मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि आचार्य तुलसी कृत 'अग्नि परीक्षा' नामक प्रबन्ध काव्य को लेकर चूरू जिले में उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति के सम्बन्ध में सर्व श्री निरंजन नाथ आचार्य, केदार नाथ, सुरेशचन्द्र शर्मा, मीठालाल मीणा, गुमानमल लोढ़ा, योगेन्द्र नाथ हांडा और झाबरमल, सदस्य विधान सभा ने स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है। सर्व श्री निरंजन नाथ आचार्य, केदारनाथ और गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा ने इसी सम्बन्ध में बीदासर के अध्यापकों के साथ की गई पिटाई के संबन्ध में भी एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। चूंकि यह प्रश्न लोक महत्व का है अतः माननीय गृह मंत्री इस सम्बन्ध में सदन में दिनांक 17 अगस्त, 1972 को एक वक्तव्य देने की कृपा करें। मैं इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूँ।

2. सर्व श्री निरंजन नाथ आचार्य, केदारनाथ, मीठालाल मीणा, सुरेशचन्द्र शर्मा, भानु कुमार शास्त्री, गुमानमल लोढ़ा, सदस्य विधान सभा ने सवाई माधोपुर में तेल शोधक कारखाना न खोले जाने के विषय में भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है। इस सम्बन्ध में माननीय उद्योग मन्त्री सदन में वक्तव्य देने की कृपा करें। मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

3. श्री निरंजननाथ आचार्य और श्री केदारनाथ, सदस्य विधान सभा ने राज्य की वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। चूंकि इस विषय का सम्बन्ध हाल की किसी घटना से नहीं है अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

4. श्री निरंजननाथ आचार्य, श्री केदारनाथ, और श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, सदस्य विधान सभा ने आम जरूरत की चीजों के भाव बढ़ जाने से सम्बन्धित स्थिति के विषय में दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है। यह प्रश्न भी हाल की किसी घटना से सम्बन्धित नहीं है और इसका सम्बन्ध अकेली राज्य सरकार से भी नहीं है और यह कन्टीयूइंग प्रोसेस है। अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

5. सर्व श्री निरंजनाथ आचार्य, केदार नाथ, गिरधारीलाल भार्गव, मीठालाल मीणा, सुरेशचन्द्र शर्मा, गुमानमल लोढ़ा और भानुकुमार शास्त्री, सदस्य विधान सभा ने भरतपुर, सवाईमाधोपुर और अलवर जिले में बाढ़ की स्थिति तथा उदयपुर जिले व जोधपुर, बीकानेर संभाग में उत्पन्न अकाल की स्थिति के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है। दिनांक 17/18 अगस्त, 1972 को राज्य सरकार की ओर से राजस्थान में अकाल व बाढ़ की स्थिति के

(श्री अध्यक्ष)
सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया जा रहा है और इस विषय में चर्चा भी होगी । अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं ।

6. श्री योगेन्द्र नाथ हांडा, सदस्य विधान सभा ने राजस्थान नहर के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण नहर पर हुए नुकसान की वजह से सरकारी रकमों की वसूली बंद करने के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस विषय पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जारही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा ।

7. श्री निरंजननाथ आचार्य और श्री केदारनाथ, सदस्य विधान सभा ने राजस्थान के विश्व विद्यालय तथा विद्यालयों में छात्रों को निर्धारित अंक की नीति के आधार पर प्रवेश देने के सम्बन्ध में उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है । यह विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं ।

8. श्री निरंजननाथ आचार्य और श्री केदारनाथ, सदस्य विधान सभा ने पुलिस द्वारा नयाबास में जनता पर किये गये जुल्मों के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है । यह विषय भी अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं ।

9. श्री निरंजननाथ आचार्य और श्री केदारनाथ, सदस्य विधान सभा ने पाक विजित क्षेत्र में शरणार्थियों की सुरक्षा के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है । इस विषय का सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार की नीति से होने के कारण मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं ।

10. श्री निरंजननाथ आचार्य, केदारनाथ, सदस्य विधान सभा ने राजस्थान में ट्रक चालकों की हड़ताल को लेकर एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है । यह हड़ताल समाप्त हो चुकी है अतः यह स्थगन प्रस्ताव स्वीकार योग्य नहीं है ।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र ।

श्री **लक्ष्मणसिंह** : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव था ...

श्री **गुरदयाल सिंह सन्धु** : मेरे भी दो स्थगन प्रस्ताव थे ...

श्री **अध्यक्ष** : ठीक है मैं देख लूंगा ।

श्री **भानुकुमार शास्त्री** : राज्यपाल महोदय ने स्वाधीनता की 25 वीं रजत जयन्ति के ...

श्री **अध्यक्ष** : चेम्बर में बातचीत हो चुकी है ।

श्री **भानुकुमार शास्त्री** : संविधान की सारी सीमाओं का उल्लंघन किया है ।

**एक माननीय सदस्य** : भरतपुर जिले में बाढ़ आई हुई है मैं उसकी जानकारी यहां पर देना चाहता हूं । इसके लिये मैं सदन के 15 मिनिट लेना चाहता हूँ ।

श्री **अध्यक्ष** : बाद में समय मिलेगा ।

**श्री निरंजननाथ आचार्य :** मंहगाई के सम्बन्ध में जैसा निर्णय दिया है कि यह एक कन्टीन्यूइंग प्रोसेस है। कन्टीन्यूइंग प्रोसेस है, ऐसा ही प्रश्न लोक सभा में रखा गया है। वहां पर यही निर्णय दिया है। उस निर्णय के साथ एड-जोर्नमेन्ट मोशन को न मान कर वहां स्टेटमेन्ट देने के लिये अध्यक्ष महोदय ने कहा है। मेरा खयाल है कि हम उस ट्रेडीशन से बंधते हैं। ऐसी स्थिति में चूंकि यह लोकल प्रश्न भी अधिक है और यह सेन्ट्रल का प्रश्न नहीं है, यह सारे समाज का, सारी जनता को बेचैन करता जा रहा है, इसलिए, मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार ने अब तक क्या व्यवस्था की है, क्या प्रयत्न कर रही है प्राइज कन्ट्रोल करने का, कम से कम इस पर स्टेटमेंट देने का आग्रह किया जाये राज्य सरकार को चेअर की ओर से।

**श्री अध्यक्ष :** बढ़ती हुई कीमतों का प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह सदन में किसी रूप में आवे मुझे आपत्ति नहीं है। नियमों के अन्तर्गत एडजोर्नमेन्ट मोशन नहीं हो सकता है। लोक सभा में कॉल अटेन्शन मोशन था और उस पर वाद विवाद हुआ।

**श्री निरजन नाथ आचार्य :** सुविधा के प्रश्न पर, इस पर, चेअर की तरफ से संकेत दिया जा सकता है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :** लोक सभा में स्थगन प्रस्ताव आया था।

**श्री अध्यक्ष :** स्थगन प्रस्ताव नामन्जूर हुआ है। कॉल अटेन्शन मोशन पर डिसकशन हुआ है।

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली :** मैंने इस पर कॉल अटेन्शन मोशन दिया है।

**श्री अध्यक्ष :** अभी तक नहीं मिला है।

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली :** मिल जाना चाहिये।

**श्री मनोहरलाल कोठारी :** एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव करीब दस सदस्यों के हस्ताक्षरों से चूरू जिले में जो तनावपूर्ण स्थिति है उसके सम्बन्ध में दिया था। कृपया उसके सम्बन्ध में भी व्यवस्था दें।

**श्री अध्यक्ष :** कल की तारीख मुकर्रर की है। स्थगन प्रस्ताव पर वक्तव्य देने के लिये कहा है। काल अटेन्शन का जिक्र हाउस में नहीं आता है।

**श्री गुरदयाल सिंह सन्धु :** मैंने दो स्थगन प्रस्ताव पेश किये हैं। एक तो गंगानगर में खाद ब्लेक में बिक रही है।··

**श्री अध्यक्ष :** टाइम के बाद आया है।

**श्री गुरदयालसिंह सन्धु :** सवा एक बजे दिया है।

**श्री अध्यक्ष :** चेम्बर में आकर मालूम कर लें।

**श्री गुमानमल लोढा :** मेरा यह निवेदन था,

**श्री गुरदयालसिह सन्धु :** क्या कल इन पर गौर हो सकेगा ?

**श्री अध्यक्ष :** वाजिब होगा तो।

# Page No. 29



श्री **गुमानमल लोढ़ा** : अध्यक्ष महोदय, 14–15 अगस्त की रात्रि को स्वाधीनता समारोह के अवसर पर···

श्री **अध्यक्ष** : बात हो चुकी है।

श्री **गुमानमल लोढ़ा** : मेरी प्रार्थना है···

श्री **अध्यक्ष** : मैंने निवेदन किया है। आप से चेम्बर में बात हुई है। यह हाउस की सिटिंग की बात नहीं है। चेम्बर में बात की है।

श्री **गुमानमल लोढ़ा** : प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय···

श्री **अध्यक्ष** : इस पर डिसकशन नहीं होगा।

श्री **गुमानमल लोढ़ा** : राज्यपाल महोदय ने संविधान की सीमाओं का उल्लंघन किया है।

श्री **अध्यक्ष** : इस पर डिसकशन न हो। चेम्बर में और बात कर लें।

श्री **गुमानमल लोढ़ा** : इस सम्बन्ध के अन्दर···

श्री **अध्यक्ष**: मैंने कहा है उसका ध्यान रखें।

श्री **गुमानमल लोढ़ा** : आपकी आज्ञा शिरोधार्य है··

श्री **अध्यक्ष** : फिर कहने की बात क्या है?

श्री **गुमानमल लोढ़ा** : सदन में आने के बाद हुई है···

श्री **अध्यक्ष** : कोई बात हुई थी, कोई निर्णय लिया था।

श्री **गुमानमल लोढ़ा** : मेरी यह प्रार्थना है कि राज्यपाल महोदय के द्वारा····

श्री **अध्यक्ष** : मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे ना कहने का मौका न दें। आपकी बात सुन कर ही कहा है। आप बात कर चुके हैं।

श्री **गुमानमल लोढ़ा** : जिस परम्परा को रखा है राज्यपाल महोदय ने परसों रात को मैं प्रार्थना करूंगा···

श्री **अध्यक्ष** : मैं समझता हूं कि उसको विवाद का विषय न बनाया जाय सदन में।

श्री **रोशनलाल शर्मा** : माननीय सदस्य अभी यह चर्चा यहां पर करेंगे तो···

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण अश्रव्य)

श्री **गुमानमल लोढ़ा** : यहां आसन पर बैठकर उन्होंने यह कहा कि जब तक कांग्रेस का शासन रहेगा तब तक रहेंगे, भारत के राष्ट्रपति ने ऐसा नहीं कहा, भारत के प्रधान मंत्री ने ऐसी बात नहीं कही, भारत के उपराष्ट्रपति ने नहीं कहा···

श्री **अध्यक्ष** : मैं आज्ञा नहीं दूंगा आपको यहां पर इसके लिए।

श्री **गुमानमल लोढ़ा** : मैं प्रार्थना करूंगा···

श्री **अध्यक्ष** : Not to be recorded.

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : ++

**श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया** : बार-बार आपकी आज्ञा की अवहेलना की जा रही है, अध्यक्ष महोदय ।

**श्री अध्यक्ष** : मैं आपको बता दूं कि हाउस की सिटिंग की यह बात नहीं है, यद्यपि हम लोग आपस में बात करके जो कुछ निर्णय होगा उसके बाद यहां कहूंगा ।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : भारत के संविधान में···

**श्री अध्यक्ष** : ऐसा आप कह चुके हैं ।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : राज्यपाल होकर किसी दल विशेष की वकालात करें···

**श्री अध्यक्ष** : इनका रेकार्ड नहीं किया जाय ।

**श्री गुमान मल लोढ़ा** : ++

**श्री अध्यक्ष** : महरबानी करके बिराजिये ।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : अध्यक्ष महोदय, यह संविधान के प्रतिकूल उनका आचरण है और संविधान के प्रतिकूल यदि आचरण होता है····

**श्री अध्यक्ष** : मैं कह चुका हूं ।

**श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया** : आपकी आज्ञा हो गई है उसके बाद भी भाषण दे रहे हैं । सारे कायदे कानूनों को तोड़कर बोलना चाहते है । बार बार इस बारे में आज्ञा हो चुकी है और इस प्रकार है····

**श्री अध्यक्ष** : Not to be recorded.

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : ++

**श्री अध्यक्ष** : आपको मुझे सहयोग देना चाहिए ।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : ++

**श्री अध्यक्ष** : Not to be recorded. Please take your seat.

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : ++

**श्री हरिदेव जोशी** : सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं ।

(कांग्रेस सदस्यों की ओर से मेजें थपथपाने के कारण अश्रव्य)

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : ++

**श्री अध्यक्ष** : बैठिये, आप विराजिये ।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : ++

**श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया** : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आज्ञा का उल्लंघन किया जा रहा है ।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : आप इसे विधान सभा में लेने को तैयार नहीं है तो संविधान की गरिमा को रखने के लिए इस सदन से वाक आउट करता हूं ।

(इसके पश्चात् श्री गुमानमल लोढ़ा ने सदन से बहिर्गमन किया और उनके साथ

---

अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार भाषण अंश अंकित नहीं किया गया ।

साथ श्री भानुकुमार शास्त्री और श्री अजीतसिंह भी सदन से बाहर चले गये )

श्री **अध्यक्ष** : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री **केदारनाथ** ( गंगानगर ) : एक प्रश्न और है। खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट की स्ट्राइक के बारे में एडजोर्नमेंट मोशन रखा था और दूसरा एग्रीकल्चर कालेज के लड़कों की हड़ताल के बारे में था। अध्यक्ष महोदय, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के लिए आपने फर्मा दिया था कि जो काल अटेन्शन मोशन दिये हैं और एडजोर्नमेंट मोशन दिये हैं ···

श्री **अध्यक्ष** : यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने तय किये होंगे।

श्री **केदारनाथ** : उसमें फाइनल नहीं हुए। राज्यपाल महोदय ने जो भाषण दिया उसके बारे में काल अटेन्शन मोशन पेश किया तो आपने फैसला करने से पहले चेम्बर में बात करने के लिए कहा था।

श्री **योगेन्द्रनाथ हाण्डा** : अध्यक्ष महोदय, मेरा राजस्थान केनाल···

श्री **अध्यक्ष** : जानकारी चाही है।

श्री **योगेन्द्रनाथ हाण्डा** : जानकारी नहीं; इस संबंध में स्टेटमेंट होगा। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान केनाल के साढ़े चार हजार वर्कर्स हड़ताल पर 45 दिन तक चलते रहे···

श्री **अध्यक्ष** : जानकारी चाही है, मैंने रिजेक्ट तो नहीं किया।

श्री **योगेन्द्रनाथ हाण्डा** : स्टेटमेंट दिलवाइये, अध्यक्ष महोदय, समय कितना थोड़ा है, जानकारी ही जानकारी में समय समाप्त हो जायेगा।

श्री **अध्यक्ष** : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री **योगेन्द्रनाथ हाण्डा** : माननीय अध्यक्ष, स्टेटमेंट चाहिए।

श्री **गुमानमल लोढ़ा** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान और सदन के नेता का ध्यान एक महत्वपूर्ण तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं। सदन के बाहर मेडिकल कालेज के 5000 स्टूडेन्ट्स पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। हरिदेव जी मिलने को तैयार हैं वे मिलने के लिए आना चाहते हैं लेकिन पुलिस ने उन लोगों को लाठी के बल पर रोक रखा है और उन पर अत्याचार किया जा रहा है। यह बेरोजगारी का प्रश्न है। मैं माननीय अध्यक्ष से निवेदन करूंगा ···

श्री **हरिदेव जोशी** : इसमें अत्याचार का कोई प्रश्न नहीं है। विद्यार्थियों ने टाइम मिलने का मांगा और मैंने उन्हें टाइम दे दिया और वे लड़के मुझ से मिलने के लिए भी आ रहे हैं।

श्री **गुमानमल लोढ़ा** : बाहर खड़े हैं।

श्री **अध्यक्ष** : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री **रोशनलाल शर्मा** : ( श्री गुमानमल लोढ़ा से) गलत बात न करें तो ज्यादा अच्छा हो।

# Page No. 32



**सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र**

**श्री सचिव** (राजस्थान विधान सभा) : महोदय, मैं गत सत्र में पारित निम्नांकित विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है—

(1) राजस्थान नगर विकास (संशोधन) विधेयक, 1972।

**एक माननीय सदस्य** : (श्री गुमानमल लोढ़ा को) अभी तो बाहर गये थे अभी आ गये।

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** : अन्दर बाहर तो होता ही रहता है।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज !

**श्री सचिव** (राजस्थान विधान सभा): (2) राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1972।

(2) राजस्थान विनियोग (लेखा अनुदान) विधेयक, 1972।

(4) राजस्थान वाणिज्यिक फसलें उपकर निरसन विधेयक, 1972।

(5) राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, 1972।

(6) राजस्थान कराधान विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1972।

(7) राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1972।

(8) राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1972।

(9) राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1972।

(10) जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1972।

(11) उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन विधेयक, 1972।

(12) राजस्थान यात्री तथा मालकर (संशोधन) विधेयक, 1972।

**श्रीमती कमला बेनीवाल** (राज्य मंत्री, उद्योग) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखती हूं:—

(1) उद्योग विभाग की अधिसूचना संख्या घ (26) उद्योग (क) / 63 दिनांक 7-10-1971 जिसके द्वारा राजस्थान उद्योगों के लिए राजकीय सहायता (ऋण) नियम, 1973 में संशोधन किये गये हैं।

(2) कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 8 (1) नियुक्ति (क-2) 71 दिनांक 4-8-1972 जिसके द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग (कृत्य परिसीमन) विनियम, 1951 में संशोधन किये गए हैं।

**श्री हरिदेव जोशी** (यातायात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं (1) गृह (ग्रुप-7) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 1(3)/17एच (बी-ग्रुप-1) 63 दिनांक 26 अप्रेल, 1972 को सदन की मेज पर पुनः रखता हूं।

(श्री हरिदेव जोशी)

अध्यक्ष महोदय, मैं पंचायत विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 4।एल। पी.एस.।ए.आर.। 5।71।1809-47 दिनांक 23-6-1972 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा (नवीन वेतनमान) (संशोधन) नियम, 1972 प्रकाशित किये गए हैं।

(2) अधिसूचना संख्या एफ.4।एल बी. एस.।ए.आर.।9।69।1848-55 दिनांक 23-6-1972 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 1962 में संशोधन किया गया है।

(3) अधिसूचना संख्या एफ 4।एल.बी. एस.।ए.-आर.।3।69।2143 दिनांक 19-7-72 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् सेवा (पुनरंक्षित वेतनमान) नियम, 1962 में संशोधन किये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय मैं पंचायत एवं विकास विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें पुनः सदन की मेज पर रखता हूं:--

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (एल. जे.) 4 (7)।68।1103 दिनांक 26-4-72 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत (सामान्य) (संशोधन) नियम, 1972 प्रकाशित किये गये हैं।

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 4।।एस. बी.एस.।ए.आर.।6।71।1083-92 दिनांक 24-4-1972 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (वित्तीय लेखा तथा बजट) (संशोधन) नियम, 1972 प्रकाशित किये गये हैं।

(3) अधिसूचना संख्या 4।एल.बी.एस.। ए.आर.।6।71।1063-82, दिनांक 24-4-1972 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् सेवा नियम, 1959 में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्री जी।

श्री चन्दनमल बेद (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मै वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 16(3)एफ.17।सी.टी. 71-1 जी.एस.आर. 25 दिनांक 13 जुलाई, 1972 जिसके द्वारा राजस्थान यात्री एवं माल करारोपण (द्वितीय संशोधन) नियम, 1972 प्रकाशित किये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें पुनः सदन की मेज पर रखता हूं:--

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (2) एफ.डी.।एक्स।71।दिनांक 11 मई, 1972।

(2) अधिसूचना संख्या प 16(3) वित्त।या. कर।71, दिनांक 16 मई, 1972 जिसके द्वारा राजस्थान यात्री एवं माल करारोपण (प्रथम संशोधन) नियम, 1972।

प्रकाशित किये गये हैं।

अध्यक्ष : राजस्व मन्त्री जी।

श्री मूलचन्द (राज्य मन्त्री राजस्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व मन्त्री की आज्ञा

(श्री मूलचन्द)
से राजस्व उपनिवेशन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं · · ·

**श्री निरंजननाथ आचार्य :** अध्यक्ष की आज्ञा से नहीं ?

**श्री मूलचन्द :** सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना संख्या एफ. (449) राज.।उप।71, दिनांक 23–5–72 जिसके द्वारा राजस्व उपनिवेशन (मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाएं सहकारी भूमि आवंटन) नियम, 1968 में संशोधन किये गये हैं।

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 24(449)

रेज.।कोल.।71, दिनांक 23–5–1972।

(3) अधिसूचना संख्या एफ. 4(ब) (1)राज।उप।70, दिनांक 24–7–1972 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्तें, 1955 में संशोधन किये गये हैं।

(4) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (सी) (1)राज।उप।दिनांक 29–7–72;

(5) अधिसूचना संख्या एफ.4(सी)राज. उप।67 दिनांक 29–7–1972।

(6) अधिसूचना संख्या एफ. 4(सी) (1)राज।उप।71, दिनांक 29–7–1972।

## समिति का प्रतिवेदन

### कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन

**श्री अध्यक्ष :** कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन।

**श्री हरिदेव जोशी :** अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के पांचवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं "यह सदन कार्य सलाहकार समिति के पांचवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है"

**श्री अध्यक्ष:** प्रश्न यह है कि कार्य सलाहकार समिति के पांचवें प्रतिवेदन को स्वीकार किया जावे ?

(स्वीकृति)

प्रतिवेदन स्वीकार किया गया।

**श्री अध्यक्ष :** विधायी कार्य।

**श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य मंत्री, उद्योग) :** अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619 (ए) के अन्तर्गत हाई-टेक प्रसीजन ग्लास लिमिटेड, जयपुर का 30 सितम्बर, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये निर्देशकों का प्रतिवेदन तथा लेखा कारण सदन की मेज पर रखती हूं।

विधायी कार्य
पुरःस्थापित होने वाले विधेयक

**श्री अध्यक्ष :** विधायी कार्य।

**श्री परसराम मदेरणा (मन्त्री नगर आयोजन) :** अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान

(श्री परसराम मदेरणा)
संशोधित करने के लिये विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, अध्यादेश संख्या 3 सन् 1972 को जारी करने के कारणों को मैं सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : विधेयक पुर:स्थापित किये गये।

श्री चन्दनमल बैद (शिक्षा मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं, उदयपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1962 को और संशोधन करने के लिए विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अध्यादेश संख्या 2 सन् 1972 को जारी करने के कारणों के बिवरण को सदन की मेज पर रखता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान बिक्रीकर अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने के लिये विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अध्यादेश संख्या 4 सन् 1972 को जारी करने के कारणों के विवरण को सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष : विधेयक प्रस्तुत किये गये। विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक। राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1972 पर विचार एवं उसका पारण।

श्री परसराम मदेरणा (स्वायत्त शासन मंत्री) अध्यक्ष महोदय, मंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1972 विधेयक को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाये ?

श्री निरंजन नाथ आचार्य : किस पर हां कहें। पक्ष में या विपक्ष में ?

श्री अध्यक्ष : इस पर मेरा निवेदन है कि किसी खास पर 'हां' कहें या ना' कहें।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : मेरा प्रश्न है, एक साथ हां और ना किस पर कहें ? पक्ष में या विपक्ष में ?

श्री अध्यक्ष : हम अमेण्डमेण्ट को और ले लें तो अच्छा रहेगा।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : अच्छा।

श्री अध्यक्ष : श्री यशवन्तसिंह नाहर।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : अध्यक्ष महोदय मैं अपना अमेण्डमेण्ट विड्रा करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

श्री निरंजन नाथ आचार्य : वह उदासीन हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरसिंह।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह भी उदासीन हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह अमेण्डमेण्ट आये हैं, जो मूल विधेयक ...

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : यह तो नॉन कण्ट्रोवर्सियल है। अमेण्डमेण्ट की क्या बात है।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

**श्री परसराम मदेरणा** : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1972 को पारित किया जाये।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाये।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

**उदयपुर विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1972 पर विचार एव उसका पारण**

**श्री चन्दनमल बैद** (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1972 को विचारार्थ लिया जाये।

**श्री यशवन्तसिंह नाहर** : अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : आपको अमेन्डमेन्ट मूव करना चाहिए था।

**श्री यशवन्तसिंह नाहर** : I requested for its reference to the Select Committee. मेरा निवेदन इतना है।

**एक माननीय सदस्य** : यह तो हो गया।

**श्री यशवन्तसिंह नाहर** : एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्वाइण्ट रहता है, जैसे एक्सपायरी आफ दी टर्म आफ दी चांसलर है। ये ऐसी चीजें हैं। इन पर ध्यान देना है। मैं इतना ही कह कर अपने प्रस्ताव को विद्ड्रा करता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाये।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

**श्री चन्दनमल बैद** : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उदयपुर विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1972 को पारित किया जाये।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाये।

(स्वीकृत)

विधेयक को पारित किया गया।

**राजस्थान विक्री कर (संशोधन) विधेयक, 1972**

**श्री चन्दनमल बैद** (आबकारी एवं कर मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान बिक्री कर संशोधन विधेयक को विचारार्थ लिया जाये।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाये ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : इस पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री यशवन्तसिंह नाहर !

श्री यशवन्तसिंह नाहर : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि बिक्रीकर में नया अमेन्ड-मेण्ट किया है इसमें तो बड़ी वेगनेस है। आपने 50 थाउजेण्ड का नोटीफिकेशन किया है।

श्री चन्दनमल बैद : नोटीफिकेशन से भी तय हो गया है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : This is another. You might change even upto 20 thousand, again. आप यह कह दें।

This must be certain atleast for the year in which this is being promulgated.

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन) अगर इतना भी नहीं है तब तो यह मानकर चलें कि सरकार के हाथों में यह दे रहे हैं तो नतीजा यह होगा कि दूसरी दफा एग्जम्पशन पाने का अधिकारी वह नहीं रहेगा। इसलिए मैंने यह अमेण्डमेण्ट मूव किया है। यह शब्द इसमें से निकाल दिये जायें–

"Provided also that for the purpose of clause (c) the limit in respect of such class of dealers exclusively dealing in cooked food by the dealers themselves."

यह निकाल दिये जायें और यह कर दिये जायें–

"as may be specified by the State Government by notification in the Official Gazette."

यह मैं निश्चित कहूंगा कि सरकार के नोटीफिकेशन से बचने के लिए, लेकिन जब तक यह असेम्बली नहीं आयेगी जिसके हाथों में लॉ बनाने का अधिकार है। इसलिए मैं कहूंगा कि 50 थाउजेण्ड कर दिया है–

This means atleast for the year.

तो ऐसा नहीं है। 40 थाउजेण्ड कर दिया जब नोटीफिकेशन कर दिया तो 50 थाउजेंण्ड सरटेण्टी करने के लिए जो असेम्बली के हाथों में अधिकार है, वह डेलीगेटरी लेजिस्लेशन बनाने का अधिकार गवर्नमेन्ट को न दें। मैं यह नहीं कहता हूं कि कल इसको बदल कर 20 थाउजेण्ड कर दें। मिनिमम मोस्ट होना चाहिए। मेरा ख्याल है, कोई आपत्ति पैदा होने का प्रश्न नहीं होता है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मंत्री महोदय को शायद याद होगा कि पिछले सत्र में इस सदन में आपने यह आश्वासन दिया था कि सेल्स टैक्स एक्ट के अन्दर जल्दी ही कोई एमेन्डमेन्ट आने वाला है और यह भी कहा था कि कोई श्री रामसिंह जी जो कि फोरमर सेल्स टैक्स कमिश्नर थे वो इसके बारे में कार्यवाही कर रहे हैं। इसके अलावा जो टैक्स हलवाइयों के ऊपर 30 हजार की बिक्री के ऊपर लगने वाला था वह 50 हजार रुपये की आमदनी वालों

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

पर लगेगा ऐसा आश्वासन दिया था। इन सभी के लिए मुझे यही कहना है कि जब श्री रामसिंह जी इसको लिमिट के संशोधन के बारे में या पूरे सेल्स टैक्स एक्ट में संशोधन के बारे में कार्यवाही कर रहे हैं तो फिर इसमें आपको ऐसी जल्दी क्या है? अन्त में मेरा निवेदन इतना ही है कि सरकार को चाहिए कि सरकार जो भी कर लगाये उनके बारे में कोई निश्चित बात तो होनी चाहिये कि साल भर में इतना टैक्स इस चीज पर लगेगा और उसके बाद में बीच में कोई फेर बदल नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा!

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल!

(अनुपस्थित)

श्री उपाध्यक्ष : श्री वित्त मंत्री जी!

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो डेलीगेशन आफ पावर्स के बारे में कहा गया है उसके लिए मेरा इतना ही निवेदन है कि न तो राज्य सरकार ने इसमें पावर ली है अभी, न पहले ही पावर राज्य सरकार को डेलीगेट की गयी थी। पहले केवल इतना ही था कि जो लिमिट थी वह सिर्फ 30 हजार रुपये हलवाईयों के टर्न ओवर पर वह राज्य सरकार ने जब माननीय सदस्यों ने बजट सेशन में इसमें संशोधन करने के लिए कहा था तो राज्य सरकार ने जैसा कि आश्वासन दिया था उसकी लिमिट 50 हजार रुपये कर दी। और उसके लिए राज्य सरकार ने ओरडीनेन्स निकाला। जब ओरडीनेन्स निकाला जाता है तो उस पर बिल लाया जाता है, नहीं तो उसकी मियाद निकलने के बाद वह रद्द हो जाता है। इसलिए यह बिल लाया गया है। यह कोई नया बिल तो लाया नहीं गया है। और जहां तक टैक्स लगाने की बात है वह तो राज्य सरकार के अन्दर पावर वेस्ट करती है। राज्य सरकार को डेलीगेशन आफ पावर्स की कोई बात नहीं है। दूसरे, राज्य सरकार टैक्स कितना लगाये यह भी राज्य सरकार के सोचने की बात है इसमें यह तो निश्चित नहीं कहा जा सकता कि इतना ही टैक्स लगेगा। माननीय सदस्य का यह कहना कि इसकी निश्चित लिमिट होनी चाहिए या राज्य सरकार बीच में इसकी लिमिट को कम ज्यादा नहीं कर सकती यह तो बिल्कुल गलत बात है। इस बारे में राज्य सरकार वचनबद्ध नहीं हो सकती। क्योंकि किस वक्त क्या परिस्थितियां पैदा हो जायें जिसके अनुसार राज्य सरकार को टैक्स लगाना पड़ सकता है। इसलिए यह नहीं कर सकते कि राज्य सरकार को डेलीगेशन आफ पावर्स इतने रुपये तक ही टैक्स लगाने की है, वह बात कहना गलत है। यह तो राज्य सरकार के अधिकार में है। इसलिए ऐसा कहना कि पहले तो राज्य सरकार ने 30 हजार की लिमिट हलवाईयों के लिए रखो और बाद में 50 हजार रुपये करदी, यह गलत है। क्योंकि राज्य सरकार पर यह पाबन्दी नहीं हो सकती है कि आगे वह टैक्स की रकम में कोई फेर बदल नहीं करेगी। इसके बारे में कोई निश्चित वायदा नहीं किया जा सकता है। इसके लिए चाहे कोई गवर्नमेन्ट हो, चाहें कोई भी वित्त मंत्री हो, माननीय सदस्य के इस एमेन्डमेन्ट को नहीं मान सकती है कि इस लिमिट के बाद

(श्री चन्दनमल बैद)
में इधर उधर नहीं होगा। यह तो स्थिति के अनुसार निर्भर है। इसलिए माननीय सदस्य ने जो मांग की है उसे मैं मानने में असमर्थ हूं।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चूंकि इस पार्टी को ही बिलोंग करता हूं इसलिए ज्यादा ओर जोर नहीं देना चाहता हूं पर इतना जरूर कहूंगा कि इस बारे में वर्ल्ड की कोई भी गवर्नमेंट हो इस व्यू से मतभेद नहीं कर सकती कि एक बार जो टैक्स आप फिक्स कर देते हैं जो लिमिट एक बार फिक्स आप कर देते हैं उसमें बार बार संशोधन करें। मुझे तो इतना ही निवेदन करना था। बस, आगे मन्त्री महोदय जो चाहें करें।

श्री उपाध्यक्ष : तो फिर आप अपने एमेन्डमेण्ट को वापिस लेते हैं क्या ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : जी हां। मैं मेरे एमेन्डमेण्ट को विदड्रा करने को तैयार हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि श्री नाहर को अपना एमेंडमेण्ट वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाये।

[स्वीकृत]

अनुमति प्रदान की गई।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं अपना एमेंडमेण्ट वापिस लेता हूं।

**राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 1972 पर विचार एवं उसका पारण**

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 1972 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लेने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 1972 को पारित किया जाय।

श्री मीठालाल (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड (2) के उपखण्ड (1) के अंत में निम्नांकित शब्द जोड़े जायं : "तथा बिक्री कर को अग्रिम राशि वसूल नहीं की जावेगी" गत सत्र में राज्य सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि भविष्य में बिक्री कर को अतिरिक्त अग्रिम राशि वसूल नहीं की जायेगी। पर आज स्थिति यह है कि अग्रिम राशि वसूल की जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, बिक्री की राशि एक ऐसी राशि है जो कि कोई माल की बिक्री होने पर ही प्राप्त हो सकती है। जब तक माल नहीं बिकता तब तक आप अग्रिम में अतिरिक्त कैसे वसूल कर सकते हैं। पर यहां तो उल्टा हिसाब है। माल बिके नहीं उसके पहले ही टैक्स वसूल कर लिया जाता है। इसके अलावा एक और बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि राजस्थान की सीमा पर जो सेल्स टैक्स विभाग की चौकियां बनी हुई हैं जहां से माल एक

(श्री मीठालाल)
प्रान्त से दूसरे प्रान्तों की तरफ आता जाता है उन चौकियों पर टैक्स वसूली का यह हाल है कि वहां पर टैक्स की वसूली ड्योढी से लेकर दुगनी ली जा रही है। जहां पर व्यापारियों को 700 रुपये टैक्स के देना होता है वहां पर 1500 रुपये वसूल कर लिये जाते हैं। इसका कारण एक 18 ए नम्बर के फार्म का नहीं होना है। यह 18-ए नम्बर का फार्म महत्वपूर्ण है, उसकी जरूरत रहती है। श्रीमान, आज स्थिति ऐसी है कि सीमा चौकियों पर आपके सेल्स टैक्स अधिकारियों के पास 18-ए नम्बर का फार्म नहीं है और टैक्स अधिकारियों का हाल यह है कि वह दुगना टैक्स अग्रिम ले लेते हैं। और जब व्यापारी वर्ग के लोग या जो ट्रक वाले सामान लाते हैं वे 18-ए नम्बर के फार्म की मांग करते हैं तो 18-ए नम्बर का फार्म उन्हें नहीं दिया जाता है। इससे व्यापारियों को भारी हानि होती है और बहुत कठिनाई उन्हें उठानी पड़ती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि फार्म 18-ए व्यापारियों को दिलाया जावे। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय तो सुन ही नहीं रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : मैं सुन रहा हूं और इस सोच में पड़ गया हूं कि आपने अपना संशोधन तो हिन्दी में दिया है और बिल जो है वह अंग्रेजी में है, आपके एमेन्डमेन्ट को इसमें किस प्रकार से एडजेस्ट करूं....

श्री मीठालाल : बड़े दुर्भाग्य की बात है उपाध्यक्ष महोदय, कि मन्त्री महोदय यह कह रहे हैं कि बिल अंग्रेजी में है और मेरा एमेन्डमेण्ट हिन्दी में है। वह इनके लिये दुर्भाग्य की बात है....

श्री चन्दनमल बैद : यह मेरे दुर्भाग्य की बात नहीं है। आपके....

श्री मीठालाल : तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज सीमा चौकियों पर 18-ए नम्बर का फार्म नहीं मिलता है। वहां पर व्यापारियों, ट्रक वालों से दुगुना टैक्स वसूल किया जा रहा है जिससे उन्हें बड़ी परेशानी होती है। अभी आपको 4-5 दिन पहले का उदाहरण दूं कई व्यापारी लोग 18-ए नम्बर के फार्म नहीं मिलने की शिकायत को लेकर सेल्स टैक्स कमिश्नर के पास गये और उन्हें यह भी बताया कि किस प्रकार से उस फार्म के नहीं होने की वजह से लोगों से ज्यादा राशि वसूल की जा रही है। इससे यह अनिश्चितता बन गई है कि कितना टैक्स उस व्यापारी को देना होगा। तो मेरा निवेदन है कि भविष्य में 18-ए नम्बर का फार्म दिया जाय और अग्रिम अतिरिक्त सेल्स टैक्स की वसूली जो आज की जा रही है, बन्द कराई जाय। इसके अलावा ऐसी कार्यवाही की जावे कि जिससे व्यापारियों को यह पता हो जाय कि इतनी निश्चित राशि उन्हें देनी है। ऐसा संशोधन इस बिल में लाया जाये . ताकि लोगों को राहत मिले।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : ओन ए पोइन्ट आफ आर्डर, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री मीठालाल : उपाध्यक्ष महोदय, आज लाखों रुपये की अधिक अग्रिम राशि

(श्री मीठालाल)
सेल्स टैक्स की वसूल की जा रही है और व्यापारियों को वापिस नहीं लौटाई जाती है....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाईन्ट आफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या है आपका पाइन्ट आफ आर्डर ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि जब वित्त मंत्री जी ने विधेयक को पारित करने के लिये कहा है तो जो माननीय सदस्य ने अपना संशोधन रखा है यह नियमों के प्रतिकूल है।

श्री मीठालाल : उपाध्यक्ष महोदय मैंने आपसे पहले ही निवेदन कर दिया था कि मेरा एमेन्डमेन्ट है आपने मुझे यह कहा था कि क्लाज बाई क्लाज जब डिस्कशन हो तब देख लेंगे....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, क्लाज बाई क्लाज की बात ही नहीं हुई थी। मैंने खुद ने मन्त्री महोदय के मुंह से यही सुना है कि विधेयक को पारित किया जाय। जब विधेयक को पारित करने की स्टेज है तब आप इस पर डिबेट कैसे कर रहे हैं।

श्री मीठालाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एमेन्डमेन्ट दिया है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आपका एमेन्डमेन्ट नियमों के प्रतिकूल है।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं यह तो ठीक है कि जो पोइन्ट आफ आर्डर श्री पूनमचन्द जी ने उठाया है वह नियमों के अन्तर्गत है। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण विषय है, माननीय सदस्य ने कुछ तथ्य सदन के समक्ष रखकर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। माननीय सदस्य का और मन्त्री महोदय का यह कहना है कि आपका एमेण्डमेन्ट नियमों के प्रतिकूल है तो मेरा निवेदन है कि जब कोई माननीय सदस्य कुछ तथ्य रखें तो राज्य सरकार को उस पर गौर करना चाहिये। माननीय सदस्य का यह कहना कि कोई चीज की बिक्री नहीं हुई और आप उस पर इन एन्टीसीपेशन ही सेल्स टैक्स की वसूली कर रहे हैं यह तो बिलकुल ही अन्याय है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सेल्स टैक्स विभाग को चाहिए कि व्यापारियों के साथ थोड़ी बहुत लिनियेन्सी बरते। इस सम्बन्ध में मैं मन्त्री महोदय को भी निवेदन करना चाहूंगा कि वे माननीय सदस्य ने जो संशोधन दिया है उस पर विचार करें और कोई सन्तोषजनक उत्तर दें। अब मन्त्री महोदय का यह कहना कि जो एमेन्डमेन्ट दिया गया है वह हिन्दी में है और बिल अंग्रेजी में है तो इस बिल में कैसे संशोधन किया जाय यह तो अन्यायपूर्ण है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की भाषा व राज्य सरकार की भाषा जो है वह हिन्दी है अंग्रेजी नहीं है। मैं अंग्रेजी के विरुद्ध नहीं हूं उसका विरोध भी नहीं करता हूं। अंग्रेजी एक महत्वपूर्ण भाषा है आज भी समय को देखते हुए अंग्रेजी को हमारे

(श्री लक्ष्मणसिंह)
देश को आवश्यकता है। लेकिन यह कहना कि विधेयक अंग्रेजी में है तो संशोधन भी अंग्रेजी में आये मैं मन्त्री महोदय की बात को सही नहीं मानता हूं . . .

श्री चन्दनमल बैद : मैं यह नहीं कह रहा हूं। मैंने तो यह कहा कि सेल्स टैक्स बिल अंग्रेजी में है। मैं सोच रहा हूं कि आपका जो संशोधन दिया गया है वह हिन्दी में है इसे मैं कैसे एडजेस्ट करूं। मेहरबानी करके मेरी बात को गलत नहीं मानें उसे सही समझें। मेहरबानी करके इसको सही करेंगे।

श्री लक्ष्मण सिंह : मन्त्री महोदय ने स्पष्टीकरण दिया। मैं अपनी आपत्ति वापिस उठाता हूं। मुझे संतोष है। अगर अमेन्डमेन्ट इस रूप में स्वीकार करना है तो सरकार को विचार करना चाहिये। अग्रिम रूप से कितना टैक्स लिया, लाखों रुपया, उनको रेगुलेराइज किया जाय। सम्माननीय सदस्य और मेरा भी कहने का मतलब यह है कि जो धन राशि इस प्रकार से ले ली उसको वापिस दें, रेगुलेराइजेशन भी करना चाहिये और इस प्रकार अगली टैक्स वसूली का व्यवस्था सरकार को छोड़ देनी चाहिये। सेल्स पर टैक्स हो, सेल्स टैक्स वसूल करने के लिये बिक्री के पश्चात् सरकार टैक्स वसूल करे न कि पहले, ऐसी व्यवस्था विधेयक में होनी चाहिये यही मेरा निवेदन है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आपने मेरे पोइन्ट ओफ ओर्डर को टाल दिया। मैंने पोइन्ट ओफ ओर्डर उठाया और उसके बाद माननीय सदस्य बोलते रहे और आपने उसको टाल दिया यह हाउस का अनादर तो है ही सदस्य का भी अनादर है।

श्री उपाध्यक्ष : दो आदमी बोल चुके हैं उसके बाद रखा था।

श्री मीठालाल : जो मुझे रखना था वह मैं रख चुका हूं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैंने बीच में ही ध्यान आकर्षित किया था और फिर भी माननीय सदस्य बोलते रहे। इसके बाद भी माननीय सदस्य चाहें और सदन के लिये उपयोग होता हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। जब पारित के लिये रख दिया तो अमेन्डमेंट फिर नहीं रख सकते।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपने व्यवस्था दी आपका अमेन्डमेन्ट ले लिया जाय। इस रूल को रिलेक्स करके अमेन्डमेन्ट को ले लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने माननीय सदस्य को पहले कह दिया था कि आपका अमेन्डमेन्ट ले लिया जावेगा इसलिये ले लिया गया।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : दो गलतियां हो गयीं। आप बोलने के लिये इजाजत दे सकते हैं। फन्डामेन्टल पर बहस हो सकती है, पारण के प्रस्ताव के बाद ही। लेकिन अमेन्डमेन्ट लिया जाय यह गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : अमेन्डमेन्ट की इजाजत दे दी थी।

श्री लक्ष्मणसिंह : रूल्स को रिलेक्स कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : आप (वित्त मंत्री) जवाब देंगे ?

श्री चन्दनमल बैद : चैक पोस्ट्स पर अग्रिम राशि पहले ली जाती थी। पिछले सदन में प्रस्ताव पास किया और संशोधन प्रस्तुत किया था उसके अनुसार अग्रिम राशि नहीं ली जावेगी। माल ले जाने वाले ट्रक्स और दूसरे वाहन हैं उनके विषय में जानकारी जरूर करते हैं कि माल कहां से लाये हैं और कहां ले जा रहे हैं और उनमें क्या माल भरा हुआ है ? यदि ऐसा नहीं करें तो बड़ा मुश्किल होगा। कोई कहीं का ही बता दें। इसमें जनता के पैसे की चोरी होने का डर रहता है। ऐसे बहुत से कैसेज हुए हैं। इसलिए उनसे सूचना लेते हैं कि कहां से माल लाये और कहां ले जा रहे हैं और कौनसा माल है ? फार्म भराते हैं इसके लिये। कुछ लोग ऐसा पसन्द करते हैं कि जानकारी देने के बजाय टैक्स देना पसन्द करते हैं। जो टैक्स देना पसन्द करते हैं उनसे टैक्स ले लिया जाता है यदि जो टैक्स वाले सही जानकारी भी दे देते हैं और फिर भी उनसे टैक्स वसूल किया जाता है तो इस प्रकार की जानकारी यदि मेरे पास लायी जावेगी तो मैं जरूर उसकी जानकारी करूंगा और इसको ठीक करूंगा।

श्री मीठालाल : कोई माल लाया और बताता है फिर ले लेते हैं...

श्री चन्दनमल बैद : कोई बेईमान व्यापारी या ट्रक व्यापारी अलग अलग माल लाकर टैक्स बचाता है और उसको छिपाता है और नहीं बताता है कि माल क्या है ? यदि टैक्स बचाने की और टैक्स की चोरी करने की उसकी मंशा नहीं है तो इसकी जानकारी देने में क्या एतराज हो सकता है। वह यह कह दे कि पांच सौ मन गुड़ है। हम वेरीफाई इसलिए करते हैं कि कहीं चीनी तो नहीं है। टैक्स वसूल नहीं करते हैं। कहां से लाया और कहां ले जा रहा है और क्या माल है ? यह जानकारी करना आवश्यक है।

श्री मीठालाल : मेरी मंशा यह नहीं है कि यह जानकारी न करें। मेरा मकसद यह है कि 18-ए नम्बर का फार्म देने के लिये जो कहा गया है वह तो अवेलेबल कराइये। जब फार्म मांगने जाते हैं तो कहते हैं कि फार्म नहीं है टैक्स दो। व्यापारी 18-ए नम्बर का फार्म भरकर देने के लिए तैयार है। व्यवस्था में सुधार करने के लिए ही मैं निवेदन कर रहा हूं। कई व्यापारियों का दो दो पांच पांच साल से 50 हजार रुपये सेल्स टैक्स के एडवान्स में जमा हैं, जितना सेल टैक्स बनता था वह आपने ले लिया अब नियमित रूप से उन बकाया जमा रुपयों को वापिस लौटाइये तीन साल हो गये। 18-ए नम्बर का फार्म मांगने पर उसको फार्म दिया जाय और पहले पैसे न लिये जायं यही निवेदन है।

श्री चन्दनमल बैद : जो मुद्दा उठाया है, वह जो बिल पेश किया गया है उस से सम्बन्धित नहीं है। यह कहना नहीं चाहता कि मैं जवाब नहीं देना चाहता। जो कनेक्टेड बातें उठायी हैं, जो वस्तु स्थिति है उसके लिये मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि 18-ए नम्बर का फार्म किस

(श्री चन्दनमल वैद)

जगह अवेलेबल है और किस जगह नहीं है। कई चैक पोस्ट्स हैं उनमें से किस पोस्ट पर अवेलेबल है और किस पर नहीं, यह नहीं कह सकता। जो भी जानकारी है उसके आधार पर निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में कोई शिकायत बतायेंगे कि इस चैक पोस्ट पर 18-ए नम्बर का फार्म उपलब्ध नहीं है निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कोशिश की जावेगी। पिछली विधान सभा में संशोधन पेश होने के बाद टैक्स वसूल हो चुका है उसका रैगुलेराईजेशन होना चाहिये, मिलान होना चाहिये कि फला आदमी से टैक्स वसूल हुआ और बाकी है तो मुजरा होना चाहिये उसके लिये बराबर कोशिश की जा रही है। ताकीद कर दूंगा कि टैक्स की वसूली हो गयी है तो उसको मुजरा कर दी जाय उस पार्टी का खाता हो तो रैगुलेराइज कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आप इस अमेन्डमेन्ट का वापिस लेना चाहते हैं ?

श्री मीठालाल : माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि जहां पर 18-ए नम्बर का फार्म अवेलेबल नहीं होगा वहां उपलब्ध करा दिया जावेगा। मुझे वापिस लेने में कोई ऐतराज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य को अपना अमेन्डमेन्ट वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

स्वीकृति दी गयी।

श्री मीठालाल : मैं अपना अमेन्डमेन्ट वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खंड 3 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 आदि स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, आदि स्वीकार किये गये।

(विराम)

श्री चन्दनमल वैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 1972 को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1972 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

(विराम)

राज्य मंत्री।

**प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम संख्या 233 में संशोधन का प्रस्ताव एवं पारण**

**श्रीमती कमला बेनीवाल** (राज्य मंत्री, उद्योग): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि निम्न चार राजकीय उपक्रम राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 233 का मैं उल्लेखित चौथी अनुसूची में क्रम संख्या 8 के पश्चात् क्रमशः क्रम संख्या 9, 10, 11 व 12 पर जोड़ दिये जायं।

1. राजस्थान स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन।

2. राजस्थान इण्डस्ट्रियल एण्ड मिनरल डवलपमेन्ट कारपोरेशन।

3. वूलन मिल, बीकानेर।

4. सोडियम सल्फेट वर्क्स, डीडवाना।

**श्री उपाध्यक्ष :** प्रश्न यह है कि यह प्रस्ताव पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही दिनांक 17-8-72 के म. पू. 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात् 12-50 बजे बृहस्पतिवार दिनांक 17-8-72 के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

# परिशिष्ट 1

(ता. प्र. सं. 3 की सूची)

थाना फागी के क्षेत्र में चोरियों के आंकड़े का विवरण

| वर्ष | रजिस्टर किये गये केसेज् की संख्या | एफआर में समाप्त हुये केसेज की सं. | जाप्ता फौजदारी की धारा 157 के अधीन अनुसंधान नहीं किये गये केसेज की संख्या | अनुसंधानाधीन केसेज | चालान किये गये केसेज | चोरी किये गये माल की अनुमानित कीमत | बरामद किये गये माल की अनुमानित कीमत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 39 | 26 | निल | 1 | 12 | 38664 | 33951 |
| 1970 | 50 | 40 | निल | निल | 10 | 24966 | 16301 |
| 1971 | 40 | 32 | निल | निल | 8 | 41993 | 23470 |
| 1972 से जुलाई | 36 | 16 | 2 | 10 | 8 | 34992–12 | 4608–12 |

परिशिष्ट 2

(ता. प्र. सं.–6 की सूची)

वर्ष 1970–71 एवं 1971–72 के लिए निर्धारित योजना राशि–कानूनी सहायता का जिलेवार आवंटन

सूची

| नाम जिला | अनु. जाति कल्याण योजना प्रावधान | | अनु. जनजाति कल्याण योजना | | विशेष |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1970–71 | 1971–72 | 1970–71 | 1971–72 | |
| प्रावधान | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. अजमेर | 250 | 250 | 500 | 500 | |
| 2. अलवर | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 3. बाड़मेर एवं जैसलमेर | 400 | 400 | 100 | 100 | |
| 4. बांसवाड़ा | – | – | 500 | 500 | |
| 5. भरतपुर | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 6. बीकानेर एवं चूरू | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | |
| 7. भीलवाड़ा | – | 100 | 500 | 500 | |
| 8. टोंक व बूंदी | 500 | 400 | 250 | 250 | |
| 9. चित्तौड़गढ़ | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 10. डूंगरपुर | – | 100 | 500 | 500 | |
| 11. गंगानगर | 500 | 500 | 250 | 250 | |
| 12. जयपुर | 2000 | 1500 | – | 250 | |
| 13. सिरोही एवं जालोर | 250 | 250 | 500 | 500 | |
| 14. कोटा एवं झालावाड़ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 15. जोधपुर | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |

# Page No. 48



| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. | सीकर एवं झुन्झुनूं | 500 | 900 | – | 500 |
| 17. | नागौर | 850 | 500 | 250 | 250 |
| 18. | पाली | 250 | 143 | 400 | 400 |
| 19. | सवाईमाधोपुर | 500 | 500 | 250 | 250 |
| 20. | उदयपुर | – | 350 | 2000 | 1750 |
| | योग .. | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |

# परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न सं. 10 की सूची)

चूरू जिले में इस वर्ष में स्वीकृत की गई जल योजनायें

| क्रमांक | योजना का नाम | ग्रामों की सूची | जन संख्या सन् 1961 की जनगणना के अनुसार | डिजाइन पापुलेशन | अनुमानित लागत | स्वीकृति दिनांक | बजट प्रावधान 1972-73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | साहवा पम्प एवं टेंक योजना | | 3550 | 7700 | 2,38,260-00 | 19-4-72 | 1,50,000-00 |
| 2. | अमरसर पम्प एवं टेंक योजना | | 2016 | 4000 | 1,21,000-00 | 19-4-72 | 50,000-00 |
| 3. | लिजभीसर क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना | लिजभीसर नार्थ<br>लिजभीसर साउथ<br>रीजन<br>बपश्रे | 802<br>472<br>754<br>889<br>5850 | 5850 | 7,93,000-00 | 4-5-72 | 3,00,000-00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | पोंगा क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना | पोंगा भरतरो | 905 | 2100 | 1,62,500-00 | 11-5-72 | 75,000-00 |
| | | पोंगा हेमसन | 24 | | | | |
| | | असपानसरकी | 400 | | | | |
| | | पोंगा भोंगा | 77 | | | | |
| | | पोंगा आसलवास | 121 | | | | |
| | | पोंगा मालयान | | | | | |
| | | जलपानगारचा | | | | | |
| | | पोंगासुगरवान | | | | | |
| 5. | रिखी क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना | सिपी | 1928 | 8934 | 7,53,000-00 | 5-6-72 | 3,00,000-00 |
| | | वरमाल | 227 | | | | |
| | | निगसारिया | 309 | | | | |
| | | नोहारिया | 225 | | | | |
| | | इम्यालसर बडा | 365 | | | | |
| | | संखला | 302 | | | | |
| | | रेकन | 129 | | | | |
| | | हीरायतन | 307 | | | | |
| | | गुसाइसर | 323 | | | | |
| | | सूरजनवासी | 22 | | | | |
| | | कवलमासा | 310 | | | | |
| | | अभयसिंहपुरा | 175 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | क्षेत्रिय जल प्रदाय योजना बिल्लु भोगेरा | बिल्लु | 227 | | | | | |
| | | बिल्लु रामपुरा | 927 | | | | | |
| | | बोगेरा | 1138 | | | | | |
| | | महरासर | 559 | 8200 | 12,50,000-00 | 31-5-72 | 4,00,000-00 | |
| | | नेमरासर | 275 | | | | | |
| | | रातुसर | 914 | | | | | |
| 7. | क्षेत्रिय जल प्रदाय योजना सरदारशहर | मोलुसर | 179 | | | | | |
| | | भीनुसर | 239 | | | | | |
| | | पुनसीसर | 10[illegible] | | | | | |
| | | बुकनसर छोटा | 440 | 14000 | 20,80,000.00 | 17-7-72 | 11,00,000.00 | ड्राफ्ट प्रोन एरिया प्रोग्राम के अन्तर्गत ली गई है। |
| | | गजूसर | 334 | | | | | |
| | | थिरियासर | 322 | | | | | |
| | | जेत सिसारिया | 214 | | | | | |
| | | असपाल सर बड़ा | 434 | | | | | |
| | | असपालसर, | | | | | | |
| | | कुन्तलसर | 53 | | | | | |
| | | असपालसर खमेरा | 58 | | | | | |
| | | असपालसर गुरकेड़ा | 129 | | | | | |
| | | असपालसर बनसेरा | 237 | | | | | |
| | | असपालसर लालेया | 41 | | | | | |
| | | असपालसर मंगलेरा | 50 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | असपालसर खेजरा, | | | | | |
| | | रिसनादा | 60 | | | | |
| | | खेजरा उतराधा | 302 | | | | |
| | | बुकनसर बड़ा | 1049 | | | | |
| | | ढाणी पचेरा | 680 | | | | |
| | | कानरवास | 810 | | | | |
| | | डाबम | 1502 | | | | |
| 8– | तोलियासर धोलिया क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना | तोलियासर | 1100 | 10000 | 13,80,000.00 | 13-6-72 | 7,00,000.00 डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत स्वीकृत है। |
| | | धोलिया | 230 | | | | |
| | | उदयसर | 847 | | | | |
| | | लाडरिया | 131 | | | | |
| | | जालवसर | 466 | | | | |
| | | बोरमनर | 176 | | | | |
| | | जेल र | 621 | | | | |
| | | ठुकरियासर | 1106 | | | | |
| | | जेसालसर | 386 | | | | |
| 9– | सिमला संशोधित जल प्रदाय योजना | | 1106 | 2500 | 1,67,200.00 | 27-7-72 | 70,000.00 |

## परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न सं. 16 की सूची)

फागी व चाकसू पंचायत समितियों को स्वीकृत धनराशि की सूची 'अ'

| | वर्ष | राज्य योजना |
|---|---|---|
| **अनुसूचित जन जाति** | | |
| 1. छात्रवृति | 1967-68 | - |
| 2. कृषि कूप | , | 500) |
| 3. सिंचाई कूप | ,, | 2000) |
| **अनुसूचित जाति** | | |
| 1. मकान सहायता | ,, | 250) |
| **विमुक्त जाति** | | |
| 1. छात्रवृति | ,, | 500) |
| 2. मकान सहायता | ,, | 500) |

**पंचायत समिति चाकसू**

| | | |
|---|---|---|
| **अनुसूचित जन जाति** | | |
| 1. पुनर्वास | 1967-68 | 500) |
| 2. सिंचाई कूप | 1968-69 | 1000) |
| **अनुसूचितजाति** | | |
| 1. कुये पेय जल | 1967-68 | 1290) |
| 2. मकान सहायता | ,, | 250) |

फागी एवं चाकसू के अन्य क्षेत्रों में स्वीकृत धनराशि की सूची 'ब'

समाज कल्याण विभाग के मद से स्वीकृत ऋण सहायता तहसील चाकसू व फागी सन् 1967 से।

तहसील चाकसू—

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1966–67 | 31 परिवारों को | 31000) | मकान सहायत |
| 1967–68 | 1 ,, | 1000) | ,, |
| 1969–70 | 3 ,, | 3000) | ,, |
| 1970–71 | 2 ,, | 2000) | ,, |
| 1970–71 | 1 ,, | 1000) | ,, |

भंगी कष्ट मुक्ति
के अन्तर्गत 71-72 1200) नगरपालिका चाकसू
सहायता

बिजली

1968–69 8750 चाकसू
1970–71 ग्राम मारकियामें 1202 पेय जलकूप की मरम्मत हेतु दिया।

फागी

1970–71 2000) ऋण दिया गया

# Page No. 55



परिशिष्ट 5

समयाभाव के कारण न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर

**अधिशासी अधिकारियों की नियुक्तियां**

17. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका के कनिष्ठ लिपिकों व नाकेदारों को प्रमोशन देकर के नगरपालिकाओं में अधिशासी अधिकारी नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं ?

(2) क्या ये कर्मचारी राज्य स्तर पर कर्मचारियों में वरिष्ठता में प्रथम स्थान रखते हैं और निर्धारित योग्यताएं धारण किये हुए थे ? यदि नहीं, तो इन नियुक्तियों के क्या कारण हैं ?

(3) क्या राज्य स्तर पर नगरपालिका कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची बनी हुई है ? यदि नहीं, तो किस आधार पर कर्मचारियों को प्रमोशन दिए जाते हैं ? नगरपालिका कर्मचारियों की वरिष्ठता की सूची कब तक बन जायेगी ?

(4) क्या राजस्थान नगरपालिकाओं के अधिशासी अधिकारियों तथा राजस्व अधिकारियों की वरिष्ठता सूची निकाली जा चुकी है और क्या इस सूची के आधार पर अधिशासी अधिकारियों की पदोन्नति की जा चुकी है तथा राजस्व अधिकारियों की पदोन्नति न करने के क्या कारण हैं ?

**उत्तर**

1. जी हां। 11 कर्मचारी हैं। सूची संलग्न है।

2. जी नहीं।

जी हां। अधीनस्थ व मंत्रालयिक सेवा के सभी सदस्य जिन्हें 3 वर्ष का अनुभव है, राजस्थान नगरपालिका सेवा में अधिशासी अधिकारी पंचम श्रेणी के पद हेतु योग्य हैं जिनकी राज्य स्तर पर पारस्परिक वरिष्ठता सूची तैयार नहीं की गई है। वरिष्ठता सूची के अभाव में पदोन्नत साक्षात्कार के बाद चयनता के आधार पर नियमानुसार तदर्थ रूप में की गई है।

3. जी नहीं।

अधीनस्थ व मंत्रालयिक सेवा के सभी सदस्य जिन्हें 3 वर्ष का अनुभव है राजस्थान नगरपालिका सेवा में अधिशासी अधिकारी पंचम श्रेणी के पद हेतु योग्य हैं जिनकी राज्य स्तर पर पारस्परिक वरिष्ठता सूची तैयार नहीं की गई है। वरिष्ठता सूची के अभाव में पदोन्नत साक्षात्कार के बाद चयनता के आधार पर नियमानुसार तदर्थ रूप में की गई है। वरिष्ठता सूची तैयार करने में समय लगेगा।

4. जी हां।

अधिशासी अधिकारियों की पदोन्नति की जा चुकी है एवं राजस्व अधिकारियों की पदोन्नति का मामला सरकार के विचाराधीन है।

सूची

| नाम | मूल पद नगरपालिका में |
|---|---|
| 1. श्री जगदीशप्रसाद सैनी | कनिष्ट लेखक |
| 2. श्री गोपालदास काल्या | " |
| 3. श्री गोवर्धनलाल वर्मा | " |
| 4. श्री मुरारीलाल | " |
| 5. श्री जगजीतसिंह | " |
| 6. श्री मन्नालाल जैन | " |
| 7. श्री जयकुमार जैन | " |
| 8. श्री गोविन्दराम भट्ट | " |
| 9. श्री हरिवल्लभ दवे | " |
| 10. श्री अब्दुल करीम भाटी | चुंगी क्लर्क |
| 11. श्री सैयद रजि हैदर | मोहर्रिर |

**महत्वपूर्ण नियमों, आज्ञाओं का अन्य भाषाओं में अनुवाद**

18. श्री **भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर)। क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मंत्रिमण्डल का यह निर्णय है कि महत्वपूर्ण नियमों, आज्ञाओं आदि का अनुवाद सिन्धी, गुजराती, पंजाबी और उर्दू भाषियों के लिये उनकी स्वयं की भाषा में उपलब्ध कराया जाय ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त आज्ञा के पालनार्थ लोक सेवा आयोग द्वारा सिन्धी अनुवादकों की नियुक्ति की गई थी ? यदि हां, तो उनकी सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(3) उन अनुवादकों ने कितने समय कार्य किया और उस अवधि में क्या क्या कार्य किया ?

(4) क्या उन अनुवादकों द्वारा किये गये कार्य का प्रकाशन किया गया है ? यदि हां, तो क्या क्या प्रकाशन उपलब्ध हैं ?

(5) क्या इस समय भी अल्प भाषाई अनुवादक कार्य कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

( स्थगित किया गया )

**राहत कार्यों के अन्तर्गत लालसोट रामगढ़-पचवारा सड़क का अधूरा कार्य**

19. ( 221क्र. मं. ) श्री **मीठालाल** (लालसोट) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सच है कि पंचायत समिति लालसोट (जयपुर) क्षेत्र में लालसोट-रामगढ़-पचवारा सड़क जो, कि अकाल राहत कार्य के अधीन बनाई जा रही है, वह कस्बे डीडवाना के पास अधूरी पड़ी है ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री मीठालाल)

(ख) क्या सरकार उक्त अधूरी सड़क को पूर्ण करने तथा सड़क को रामगढ़-पचवारा तक बनाने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(क) जी नहीं। लालसोट क्षेत्र अकाल-ग्रस्त नहीं है और नही वहां कोई अकाल राहत कार्य चालू किया गया है।

(ख) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

बीकानेर जिले की जल वितरण योजनाएं

20. (3बि.मं.) श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बीकानेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी जल वितरण योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं ? वे योजनाएं किस किस प्रकार की किस किस ग्राम में चल रही हैं ? इनमें से कितनी बन्द हैं और कितनी चालू हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार बीकानेर जिले में और भी जल वितरण योजनाएं चालू करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो जिले के सम्पूर्ण ग्रामों को कब तक पीने का पानी दिया जा सकेगा ?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में विभाग द्वारा 33 योजनाएं चलायी जा रही हैं। इनमें से सभी चालू हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (सूची 'क')

(2) जी हां। समस्या बहुत विशाल व विकट है और उसके समाधान का समय बताया जाना कठिन है।

बीकानेर जिले में राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाएं

(सूची 'क')

| क्र.सं. | नाम | पाइप्ड जल प्रदाय योजना | विवरण योजना चालू है |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | बेरसर | ,, | ,, |
| 2. | पांचू | ,, | ,, |
| 3. | जसरासर | ,, | ,, |
| 4. | काकर | ,, | ,, |
| 5. | सिंघल | ,, | ,, |
| 6. | उदासर | ,, | ,, |

# Page No. 58



| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 7. | सूरपुर | पाइप्ड जल प्रदाय योजना | योजना चालू है |
| 8. | महाजन | " | " |
| 9. | दमतर | " | " |
| 10. | बसीसर | " | " |
| 11. | उदयरामसर | " | " |
| 12. | वरसिंगसर | " | " |
| 13. | देसलसर | " | " |
| 14. | लालमदेसर | " | " |
| 15 | करमीसर | " | " |
| 16. | गरसीसर | पम्प एवं टैंक योजना | " |
| 17. | सुजानदेसर | " | " |
| 18. | किसमीदेसर | " | " |
| 19. | विकासर | " | " |
| 20. | शिवबारी | " | " |
| 21. | कोलायत | पाइप्ड जल प्रदाय योजना | " |
| 22. | सारूंडा | पम्प एवं टैंक योजना | " |
| 23. | काल्लू | पाइप्ड जल प्रदाय योजना | " |
| 24. | लूणकरणसर | नल कूप द्वारा पानी की व्यवस्था | " |
| 25. | छतरगढ़ | पाइप्ड जल प्रदाय योजना | " |
| 26. | कानोलाई | पंप एवं टैंक योजना | " |
| 27. | नापासर I–II | पाइप्ड जल प्रदाय योजना | " |
| 28. | [illegible]सर | पम्प एवं टैंक योजना | " |
| 29. | जाजू | पाइप्ड जल प्रदाय योजना | " |
| 30. | रोरा | पम्प एवं टैंक योजना | " |
| 31. | मुंडसर | " | " |
| 32. | [illegible] | " | " |
| 33. | कजोर, मलूरी, जैसोर योजना | " | " |

### राहत कार्यों के अन्तर्गत कालू से गारबदेसर सड़क बनाने का प्रावधान

21. श्री भीमसेन ( लूनकरणसर ) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि लूणकरणसर, सरदारशहर सड़क (डी. पी. ए. पी. फण्ड) से बनाई जा रही है ? अगर हां, तो क्या यह भी सही है कि उपरोक्त सड़क का कालू से गारबदेसर करीब दस मील के टुकड़े को बनाने का कोई प्रावधान अभी तक नहीं रखा गया है ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त दस मील के टुकड़े के बनने तक लूणकरणसर—सरदारशहर सड़क का कोई उपयोग नहीं हो सकेगा ? अगर हां, तो उपरोक्त टुकड़े के लिए सरकार कब क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं । फिलहाल कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है अतः प्रश्न ही नहीं उठता ।

## शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक 16 अगस्त, 1972)

| स्कम्भ संख्या | पंक्ति संख्या | अशुद्ध | शुद्ध |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 14 | कोरपोरेशन | कोर्पोरेशन |
| 6 | 3 | लाने | देने |
| 7 | अन्तिम से 8 | फोडरेशन | फेडरेशन |
| 11 | 3 | सूर्योदय होरहा | सूर्यास्त हो गया |
| 13 | अन्तिम से 6 | कोई | कौन |
| 16 | ,, 15 | की जीवन सम्बन्धी | के जीवन सम्बन्धी |
| 17 | ,, 2 | लिये | लिये |
| 26 | ,, 2-12 | रीलीज | रिलीज |
| 28 | ,, 3 | श्रीमती कमला बैनिवाल | श्रीमती कमला बेनीवाल |
| 30 | ,, 2 | है– | – |
| 33 | अन्तिम से 12 | श्री गिरधारीलाल भार्गव | श्री गिरधारीलाल भार्गव(हवा महल, जयपुर) |
| 34 | 6 | समाजकल्याण राज्य मंत्री | समाज कल्याण मंत्री |
| ,, | अन्तिम से 7 | भारतिया | भारतीया |
| 37 | ,, 15 | श्री मोहनलाल छंगाणी | श्री मोहनलाल छंगानी(फलौदी) |
| 41 | ऊपर से 13 | की | के |
| 56 | ,, 5 | श्री मनोहरलाल कोठारी | श्री मनोहर कोठारी |
| 68 | ,, 14 | स्वीकृति | स्वीकृत |
| 70 | ,, 5 | विचारर्थ | विचारार्थ |
| 82 | ,, 10 | एमेण्डमर | एमेण्डमेण्ट |
| 83 | ,, 2 | जवाव | जवाब |
| 86 | ,, 5 | टेक्स | टैक्स |
| 89 | अन्तिम से 1 | कारपोरेशन | कार्पोरेशन |
| 92 | 4 | जिलेबार | जिलेवार |
| 101 | ऊपर से 3 | कनिष्ट | कनिष्ठ |